


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2015/ कार्तिक 8, 1937

No. 671]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2015/ KARTIKA 8, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 30 अक्टूबर, 2015

सं.फेमा. 354/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 823(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में,

(ए) विनियम 14 में,

(i) उप-विनियम 1 में, मौजूदा उप-खंड '(x)' में निम्नलिखित अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात्:

"स्पष्टीकरण:

- (i) कुल विदेशी निवेश में सभी प्रकार के विदेशी निवेश शामिल होंगे चाहे वे प्रत्यक्ष निवेश हों या अप्रत्यक्ष निवेश, भले ही वे निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 2ए, अनुसूची 3, अनुसूची 6, अनुसूची 8, अनुसूची 9 और अनुसूची 10 के अंतर्गत हुए हों।
- (ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और निक्षेपागार रसीदें जिनके अंतर्लियित (underlying) लिखत अनुसूची 5 के अंतर्गत जारी किए जा सकते हों, जिनका स्वरूप कर्ज लिखत का हो, उन्हें विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा। तथापि, भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की कोई ईक्विटी होल्डिंग जो किसी भी व्यवस्था के तहत कर्ज लिखत से परिवर्तन के परिणामस्वरूप तब्दील हुई हो, उसे विदेशी निवेश माना जाएगा।"

(ii) उप-विनियम 3 में, मौजूदा खंड (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना": अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना के प्रयोजन के लिए, भारतीय कंपनी में हुए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सभी प्रकार के विदेशी निवेश शामिल होंगे भले ही वे निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1, 2 (31 मार्च को एफआईआई होल्डिंग), 2ए (31 मार्च को एफपीआई होल्डिंग), 3, 6, 8, 9 और 10 के अंतर्गत हुए हों। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और निक्षेपागार रसीदें जिनके अंतर्लियित (underlying) लिखत अनुसूची 5 के अंतर्गत जारी किए जा सकते हों, जिनका स्वरूप कर्ज लिखत का हो, उन्हें विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा। तथापि, भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की कोई ईक्विटी होल्डिंग जो किसी भी व्यवस्था के तहत कर्ज लिखत से परिवर्तन के परिणामस्वरूप तब्दील हुई हो, उसे विदेशी निवेश माना जाएगा।"

बी. अनुसूची 1 में संशोधन

(i) अनुसूची 1 में, पैराग्राफ 2(1) में, "समय-समय पर" शब्दों के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतर्निहित किया जाएगा

"वशर्ते कि

ए. उक्त अनुसूची के अनुबंध 'बी' में उल्लिखित क्षेत्रों/गतिविधियों में, प्रत्येक क्षेत्र/गतिविधि के सामने दर्शाई गई सीमा तक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है जो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों/गतिविधियों के संबंध में मौजूदा नीतिगत शर्तों और लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी। उसमें जिन क्षेत्रों/गतिविधियों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उनमें स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है, जो लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी।

बी. जहां कहीं भी न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षित है उसमें शेयर के अंकित मूल्य के साथ ही प्राप्त शेयर प्रीमियम भी शामिल होगा बशर्ते कंपनी द्वारा इसे अनिवासी निवेशक को शेयर जारी करते समय प्राप्त किया गया हो। शेयर निर्गम के बाद, शेयर अंतरित करने के दौरान अंतरिती द्वारा शेयर जारी करने की कीमत से अधिक किए गए भुगतान की राशि न्यूनतम पूंजीकरण की अपेक्षा में परिगणित (calculate) नहीं की जा सकेगी।

सी. "सेक्टरल कैप" अर्थात् किसी विदेशी निवेशक द्वारा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, किसी एंटीटी में अधिकतम निवेश की जा सकने वाली राशि सम्मिश्र राशि है और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के विदेशी निवेश शामिल होंगे भले ही वे निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 की अनुसूची 1, 2, 2(ए), 3, 6, 8, 9 और 10 के अंतर्गत किए गए हों। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और निक्षेपागार रसीदें जिनके अंतर्लियत (underlying) लिखत अनुसूची 5 के अंतर्गत जारी किए जा सकते हों, जिनका स्वरूप कर्ज लिखत का हो, उन्हें विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा। तथापि, भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की कोई ईक्विटी होल्डिंग जो किसी भी व्यवस्था के तहत कर्ज लिखत से परिवर्तन के परिणामस्वरूप तब्दील हुई हो, उसे संमिश्र सीमा के अंतर्गत विदेशी निवेश के रूप में परिगणित जाएगा। सेक्टरल कैप नीचे तालिका में दी गई है।

डी) किसी एंटीटी में प्रत्यक्ष / अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुल विदेशी निवेश सेक्टरल / सांविधिक सीमा (कैप) से अधिक नहीं होगा।

ई) सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आने वाले सेक्टरों में होने वाले विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप भारतीय एंटीटी का स्वामित्व और /अथवा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों से अनिवासी एंटीटियों को अंतरित होने के मामले सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत होंगे। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में विदेशी निवेश सशर्त हो, जिससे भारतीय एंटीटी का स्वामित्व और / अथवा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों से अनिवासी एंटीटीज को अंतरित होना हो, तो वह ऐसी शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

एफ) उल्लिखित पैराग्राफ (ए), (बी) और (अ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी निवेश की समग्र सीमा के 49% अथवा सेक्टरल/सांविधिक कैप में से, जो भी कम हो, तक सरकारी अनुमोदन मार्ग अथवा सेक्टरल शर्तों के अनुपालन, जैसा भी मामला हो, के अधीन नहीं होगा, यदि ऐसे निवेश के परिणामस्वरूप भारतीय एंटीटी का स्वामित्व और/अथवा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों से अनिवासी एंटीटी को अंतरित न होता हो। अन्य विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में यथा निर्धारित सेक्टरल शर्तों के अधीन होंगे।

जी) विदेशी निवेश के बाबत सेक्टरल / सांविधिक कैप और संलग्न शर्तें, यदि कोई हों, के अनुपालन का दायित्व विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का होगा।

(ii) मौजूदा उपबंधों में आए "बशर्ते" शब्द "बशर्ते यह भी कि" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में, अनुबंध "बी" निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टरों) में विदेशी निवेश की उच्चतम सीमाएं (कैप्स) एवं प्रवेश (entry) मार्ग

क्र.	क्षेत्र/गतिविधि	विदेशी निवेश कैप(%)	प्रवेश मार्ग
कृषि			
1	कृषि और पशुपालन		
	<p>ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, मधुमक्खी-पालन तथा सब्जियों और मशरूम की खेती;</p> <p>बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन;</p> <p>सी) नियंत्रित परिस्थितियों में पशुपालन (श्वान प्रजनन सहित), मछली-पालन, जलीय कृषि (अक्वाकल्चर); और</p> <p>डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं।</p> <p>टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, अन्य किसी कृषि क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।</p>	100%	स्वचालित
1.1	अन्य शर्तें:		
	<p>I. ट्रांसजेनिक बीजों/सब्जियों के विकास से संबंधित कंपनियों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-</p> <p>(i) जेनेटिक तरीके से आशोधित बीजों या रोपण सामग्री के संबंध में विचार (deal) करते समय, कंपनी को जेनेटिक तरीके से आशोधित जीवों पर पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के तहत बनाई गई विधियों के अनुसरण में सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करना होगा।</p> <p>(ii) यदि किसी प्रकार की जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री का आयात करना हो तो वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत जारी अधिसूचनाओं द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन होगा।</p> <p>(iii) कंपनी जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री के संबंध में समय-समय पर लागू किए गए किसी अन्य कानून, विनियमन या नीति का पालन करेगी।</p> <p>(iv) जेनेटिक तरीके से अभियंत्रित कोशिकाओं और सामग्री का उपयोग करने में शामिल व्यापारिक गतिविधियां जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमिटी (जीईएसी) और रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन (आरसीजीएम) से प्राप्त अनुमोदनों के अधीन होंगी।</p> <p>(v) सामग्रियों का आयात राष्ट्रीय बीज नीति के अनुसार किया जाएगा।</p>		

	<p>II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है:-</p> <p>(i) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों (culture) को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं - जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।</p>
	<p>(ii) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन्हें कवर करती है:</p> <p>(ए) स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत पशु-पालन। गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत जलवायु प्रणालियां (हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुंड पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षित होंगी जैसाकि राष्ट्रीय पशु नीति 2013 में विनिर्दिष्ट है तथा उन्हें मौजूदा "मानक परिचालन प्रणालियों एवं न्यूनतम मानक अपेक्षाओं" के अनुरूप होना चाहिए।</p> <p>(बी) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-रोशनी (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है।</p> <p>(iii) मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है:</p> <p>(ए) मछलीघर (अक्वेरियम)</p> <p>(बी) हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली के छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है।</p> <p>(iv) मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है:</p> <p>कम कामकाज के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमानों के साथ और जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन।</p>
2	चाय बागान

2.1	चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य बागानों के क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।	100%	सरकार
2.2	अन्य शर्तें:		
	यदि भविष्य में भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो संबंधित राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए।		
3	खनन		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का, जिनमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, और मूल्यवान अयस्क शामिल हैं, खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।	100%	स्वचालित
3.2	कोयला और लिग्नाइट		
	(1) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन ऊर्जा परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन	100%	स्वचालित
	(2) वाशरीज़ जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना बशर्ते कंपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले या अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन पक्षों करेगी जो वाशिंग या साइजिंग के लिए कोयला प्रकोस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं।	100%	स्वचालित
3.3	टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां		
3.3.1	क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां	100 प्रतिशत	सरकारी
3.3.2	अन्य शर्तें:		
	भारत में देश भर के समुद्र-तटीय क्षेत्रों में समुद्री बालू खनिजों का बड़ा भंडार है। टाइटेनियम पाए		

जाने वाले खनिज नामतः इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन तथा ज़िरकोनियम पाए जाने वाले खनिज जिनमें ज़िरकॉन शामिल है कुछेक समुद्री बालू खनिजों में से हैं जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

औद्योगिक नीति विवरण 1991 के तहत खनिजों के खनन और उत्पादन को 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया और परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग नियंत्रण) आदेश, 1953 की अनुसूची के रूप में रखा गया; जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 1998 को जारी किए गए संकल्प संख्या 8/1(1)/97-पीएसयू/1422 में समुद्री बालू खनिजों के अन्वेषण के लिए नीति बनाई गई जिसमें टाइटेनियम अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) और ज़िरकोनियम खनिजों (ज़िरकॉन) के खनन और उत्पादन में एफडीआई सहित निजी सहभागिता की अनुमति प्रदान की गई।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 18.1.2006 की अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ.61(ई) द्वारा 'निर्धारित पदार्थों' की सूची को पुनः अधिसूचित किया। टाइटेनियम वाले अयस्कों और इसके सांद्रकों (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) तथा ज़िरकोनियम, इसकी मिश्रधातु और यौगिकों और ज़िरकॉन सहित खनिजों/सांद्रकों को 'निर्धारित पदार्थों' की सूची में से हटा दिया गया।

(i) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक करने के लिए एफडीआई निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी, नामतः

(ए) प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत के भीतर स्थापित की जाएंगी;

(बी) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटान परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में किया जाएगा।

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की गई अधिसूचना सं. एस.ओ. 61(ई) में सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण: (1) इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे टाइटेनियम वाले अयस्कों के लिए टाइटेनियम डार्डऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज के निर्माण से मूल्यवर्धन होता है। इल्मेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम स्लैग' जैसा मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है।

(2) इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग निचले स्तर तक उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस

	प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (i) (ए) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा।		
4	तेल और प्राकृतिक गैस		
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी पुनःगैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार अध्ययन और फार्मुलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामी फ्रेमवर्क और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी।	100%	स्वचालित
4.2	मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी प्रकार के विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।	49%	स्वचालित
5	रक्षा		
51.	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951, के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है।	49%	49% तक सरकारी मार्ग से। 49% से अधिक सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमिटी द्वारा, मामले -दर- मामले के आधार पर, जहां इससे देश में आधुनिक और आत्यानिक तकनीक तक पहुँच हो संभव हो सकती है।
	नोट (i) 49% की उपर्युक्त सीमा, सम्मिश्र सीमा है और उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDIs), विदेशी संस्थागत निवेशक(FIIs), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक(FPIs), अनिवासी भारतीय(NRIs) और विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI) जैसे सभी प्रकार के विदेशी निवेश शामिल होंगे, भले ही ऐसे निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली की अनुसूची 1 (FDI), 2 (FII), 2A (FPI), 3 (NRI) और 6 (FVCI) और 8 (QFI) के अंतर्गत हुए हों। (ii) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेशकों(FIIs)/अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा किए गए पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों (FVCI) द्वारा किए गए निवेश, दोनों को मिलाकर, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी/संयुक्त जोखिम कंपनी की कुल ईक्विटी के 24% से अधिक नहीं होंगे। पोर्टफोलियो निवेश स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होंगे।		
5.2.	अन्य शर्तें:		

	<p>i. लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे।</p> <p>ii. 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमति चाहने वाली आवेदक कंपनी भारतीय कंपनी होनी चाहिए जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के हाथ में हो।</p> <p>iii. आवेदक कंपनी का प्रबंधन भारतीय हाथों में हो और कंपनी/भागीदारी फर्म के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व भारतीय निवासियों का हो और साथ ही उसके मुख्य कार्यकारी भारतीय निवासी हों।</p> <p>iv. निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त जोखिम उद्यम कंपनी का मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक हो।</p> <p>v. आवेदन के साथ निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>vi. सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और घरेलू प्रमोटर्स की वित्तीय स्थिति और विश्व बाजार में उनकी विश्वसनीयता सहित उनके पूर्ववृत्त की जांच करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उपकरण का मूल रूप से निर्माण करने वालों या डिजाइन अधिष्ठानों और ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सशस्त्र बल, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों को पूर्व में आपूर्ति करने का ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो और जिनके पास एक स्थापित (प्रतिष्ठत) अनुसंधान एवं विकास केंद्र हो।</p> <p>vii. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कोई न्यूनतम पूंजीकरण नहीं होगा। तथापि, उत्पाद और प्रौद्योगिकी के आधार पर आवेदक कंपनी के प्रबंधन द्वारा उचित मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। लाइसेंसी प्राधिकारी निर्माण हेतु प्रस्तावित हथियारों और उपकरणों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अनिवासी निवेशक की निवल मालियत की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।</p> <p>viii. रक्षा मंत्रालय निर्मित होने वाले उत्पादों की खरीद की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। तथापि, जहां तक संभव हो, ऐसे उपकरणों के लिए योजनाबद्ध अर्जन कार्यक्रम और समग्र अपेक्षाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।</p> <p>ix. निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त जोखिम उद्यम कंपनी का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उत्पाद डिजाइन एवं विकास के मामले में आत्मनिर्भर हो। उत्पादन सुविधा सहित निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त जोखिम उद्यम कंपनी के पास भारत में निर्मित उत्पादों के मेंटिनेंस एवं लाइफ साइकिल सपोर्ट की भी सुविधा होनी चाहिए।</p> <p>x. आवेदक कंपनी को उत्पादन पूर्व कार्यकलाप के लिए उपकरण के आयात, जिसमें नमूने का विकास शामिल हो, की अनुमति होगी।</p> <p>xi. एक बार लाइसेंस मंजूर होने और उत्पादन शुरू होने पर लाइसेंसी द्वारा पर्याप्त संरक्षा और सुरक्षा प्रक्रिया अपनाया अपेक्षित होगा। ये व्यवस्थाएं अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापन के अधीन होंगी।</p> <p>xii. लाइसेंस के तहत विदेशी सहयोगियों से या स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के जरिए लाइसेंसी द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उपकरण/णों की गुणवत्ता और परीक्षण क्रियाविधि, उपयुक्त गोपनीयता खंड के तहत सरकार द्वारा नामित गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी को उपलब्ध कराएगा। नामित की गई गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी तैयार माल की जांच करेगी और लाइसेंसी के उत्पादन की गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया की निगरानी तथा लेखापरीक्षा करेगी। रक्षा मंत्रालय मामले -दर-मामले के आधार पर स्व-प्रमाणन की अनुमति देगा जिसमें या तो अलग-अलग वस्तुएं होंगी या लाइसेंसी द्वारा निर्मित वस्तुओं के समूह होंगे। ऐसी अनुमति नियत अवधि के लिए होगी और नवीकरण के अधीन होंगी।</p> <p>xiii. सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार खरीद की तरजीह और मूल्य की तरजीह</p>
--	--

<p>सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को दी जा सकती है।</p> <p>xiv. लाइसेंसियों को गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियंत्रण वाली सरकारी संस्थाओं और रक्षा लाइसेंस धारी कंपनियों को रक्षा उत्पादन विभाग की पूर्वानुमति के बिना रक्षा उत्पादन बेचने की अनुमति होगी। हालांकि, अन्य संस्थाओं को ऐसे उत्पादन बेचने से पूर्व लाइसेंस को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी।</p> <p>xv. रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार की अनुमति चाहने वाले सभी आवेदन पत्र आर्थिक कार्य विभाग के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) के सचिवालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>xvi. 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी आवेदन पत्रों के लिए मौजूदा प्रक्रिया अपनायी जाएगी, 3000 करोड़ रुपए से अधिक के अंतः प्रवाह वाले निवेश प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी द्वारा मंजूर किए जाते हैं।</p> <p>xvii. 49% की सीमा से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिनके फलस्वरूप देश आधुनिक और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच सकता हो, के लिए जहाँ सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक हो, वहाँ रक्षा मंत्रालय और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>xviii. 3000 करोड़ रुपये से अधिक के ऐसे अन्तः प्रवाह वाले 49% से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों जिन पर सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी द्वारा अनुमोदन दिया जाता है, उनके संबंध में आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी की आगे मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।</p> <p>xix. रक्षा उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए किए गए आवेदनों पर सरकार का निर्णय आम तौर पर आवेदन पत्र की पावती की तारीख से 10 सप्ताह में संप्रेषित कर दिया जाता है।</p> <p>xx. 49% से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी चाहने वाले प्रस्तावों के लिए आवेदक को भारतीय कंपनी/विदेशी निवेशक होना चाहिए। ऐसे प्रस्तावों के संबंध में उपर्युक्त पैरा (iii) में दी गई शर्तें लागू नहीं होंगी।</p>

सेवा क्षेत्र

सूचना सेवाएं

6	प्रसारण		
6.1.	प्रसारण वाहक सेवाएं		
6.1.1.	(1) टेलीपोर्ट (अप-लिकिंग एचयूबी/टेलीपोर्ट की स्थापना) (2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) (3) केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करने वाले और डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम करनेवाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) (4) मोबाइल टीवी (5) हेडएंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस)	74प्रतिशत	49प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग 49प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
6.1.2.	केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और	49प्रतिशत	स्वचालित मार्ग

	अट्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ))		
6.2.	प्रसारण विषयक सेवाएं		
6.2.1.	क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो) , एफ एम रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व शर्तों के अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।	26प्रतिशत	सरकारी मार्ग
6.2.2.	"समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले" टी वी चैनलों की अपलिंकिंग	26प्रतिशत	सरकारी
6.2.3.	"गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले" टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग/टीवी चैनलों की डाउन-लिंकिंग	100प्रतिशत	सरकारी
6.3.	टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग/डाउन-लिंकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सुसंगत अप-लिंकिंग/डाउन-लिंकिंग नीति के अनुपालन के अधीन होगी।		
6.4.	उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) ऐसे सुसंगत विनियमों और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हों।		
6.5.	उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) की सीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), [इन विनियमों की अनुसूची 10 के अंतर्गत जारी ईक्विटी शेयरों सहित निक्षेपागार रसीदें अथवा अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर अथवा अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट अथवा अन्य कोई प्रतिभूति जिसमें मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के अनुसार अंतर्लपित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है] ग्लोबल निक्षेपागार रसीदें (GDRs) और विदेशी एंटीटीज द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर शामिल होंगे।]		
6.6.	उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों/नियमों के अधीन होगा: कंपनी के प्रमुख कार्यपालकों के लिए अधिदेशात्मक अपेक्षा (i) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे। (ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), तकनीकी नेटवर्क परिचालन के प्रभारी मुख्य अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन (iii) कंपनी, निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकों और ऐसे किसी प्रमुख कार्यपालकों जैसे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी(सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), कंपनी में वैयक्तिक रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी रखने वाले शेयरधारकों या जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी से अपेक्षित होगा कि वे सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करें।		

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आदि जैसे प्रमुख कार्यपालकों की नियुक्ति के मामले में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

कंपनी के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह निदेशक बोर्ड में कोई परिवर्तन करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करे।

(iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों की उनके अभिनियोजन से पहले सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।

अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन

(v) यह अनुमति अनुमति धारक/लाइसेंसी द्वारा अनुमति की वैधता-अवधि के दौरान सुरक्षा अनुमोदन बरकरार रखे जाने के अधीन होगी। सुरक्षा अनुमोदन वापस लिए जाने की स्थिति में दी गई अनुमति तत्काल खत्म की जा सकती है।

(vi) अनुमति धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमति धारक/लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमति/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमति/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क/सॉफ्टवेयर संबंधी अपेक्षा

(vii) लाइसेंसी कंपनी के अधिकारी/पदाधिकारी, जो सेवाओं के विधिसम्मत अवरोधन से संबंधित हैं, भारतीय नागरिक होंगे।

(viii) इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी व्यौरे) से संबंधित विवरण, केवल आवश्यक होने पर, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसी कंपनी की संबद्ध संस्था को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना किसी अन्य को दी जानी हो तो इसके लिए लाइसेंस-प्रदाता का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ix) जब तक सुसंगत कानून द्वारा अनुमत न हो, कंपनी ग्राहक का डेटाबेस भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी।

(x) कंपनी अपने ग्राहकों की ऐसी पहचान अवश्य उपलब्ध कराएगी जिसका पता लगाया जा सके।

सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण

(xi) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके उपकरण में ऐसे आवश्यक प्रावधान (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) उपलब्ध हों जिससे सरकार द्वारा जब कभी अपेक्षित हो किसी केंद्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी की जा सके।

(xii) कंपनी सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के तहत या उनके द्वारा प्रसारण सेवा की सतत निगरानी के लिए अपने खर्चे पर निर्दिष्ट स्थान(नों) पर आवश्यक उपकरण, सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

(xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए किसी पूर्व अनुमति/सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों से अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी गतिविधियों और परिचालनों के किसी विशेष पहलू की सतत निगरानी के लिए सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तथापि, सतत निगरानी केवल सुरक्षा से जुड़े पहलुओं तक सीमित होगी जिसमें आपत्तिजनक विषय की स्क्रीनिंग शामिल है।

(xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे।

(xv) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी सेवाओं से संबंधित ऐसी कोई सूचना समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगी।

(xvi) अनुमतिधारक /लाइसेंसधारी भारत सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ट्राई या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्टें, खाते, प्राक्कलन, विवरणियां या ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी अपेक्षित आवधिक अंतरालों पर या अपेक्षित समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(xvii) सेवाप्रदाताओं को सरकार के नामित पदाधिकारियों/ट्राई के पदाधिकारियों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को अपनी प्रणालियों के परिचालन/विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित करना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें

	<p>(xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक /लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>(xix) कंपनी किसी ऐसे उपकरण का आयात/उपयोग नहीं करेगी, जो गैर कानूनी और /या नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो।</p> <p>अन्य शर्तें</p> <p>(xx) लाइसेंसकर्ता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में या प्रसारण सेवाओं के उचित प्रावधान के लिए इन शर्तों में आशोधन करने या आवश्यक समझी जाने वाली नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार होगा।</p> <p>(xxi) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रसारण सेवा संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता हो।</p>		
7 .	प्रिंट मीडिया		
7. 1.	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत	सरकार
7. 2.	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26 प्रतिशत	सरकार

7.2.1.	अन्य शर्तें :
	<p>(i) इन दिशा-निदेशों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है।</p> <p>(ii) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008को जारी दिशा-</p>

	निर्देशों के भी अधीन होगा।		
7.3.	वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/विशेषज्ञता वाले जर्नल/नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक ढांचे और इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा	100%	सरकार
7.4.	विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकार
7.4.1.	अन्य शर्तें		
	<p>(i) एफडीआई मूल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>(ii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है।</p> <p>(iii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.2006 को जारी और समय समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।</p>		
8.	नागरिक उड्डयन		
8.1	<p>नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और और गैर-अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं/समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख-रखाव और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं।</p> <p>नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए :</p> <p>(i) 'हवाई अड्डा' से तात्पर्य है विमान के उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र जहां सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधाएं होती हैं और एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 2के खंड (2)में परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है।</p> <p>(ii) "एरोड्रोम" का तात्पर्य विमान के उतरने और उड़ानें भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन, शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं।</p> <p>(iii) "हवाई अड्डा परिवहन सेवा" का तात्पर्य पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक या अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हो।</p>		

	<p>(iv) "हवाई परिवहन उपक्रम" का तात्पर्य उस उपक्रम से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है।</p> <p>(v) "विमान के घटक" का तात्पर्य कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है।</p> <p>(vi) "हेलिकॉप्टर" का तात्पर्य वस्तुतः ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटर की मदद से उड़ान भरने वाला वायु से भारी विमान से है।</p> <p>(vii) "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापूर्वक व्यवस्थित शृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो।</p> <p>(viii) "गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा न हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है।</p> <p>(ix) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;</p> <p>(x) "समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य तौर पर सक्षम हो;</p> <p>(xi) "ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i) रैंप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैंडलिंग, दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और (iii) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।</p>		
8.2.	हवाईअड्डा		
	(ए) नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाएं	100 प्रतिशत	स्वचालित
	(बी) मौजूदा परियोजनाएं	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत तक स्वचालित 74 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग
8.3	हवाई परिवहन सेवाएं		
	(1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा	49 प्रतिशत (एनआरआई के लिए 100)	स्वचालित

		प्रतिशत)	
	(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	74 प्रतिशत (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
	(3) हेलीकॉप्टर सेवा/समुद्री विमान के लिए डीजीसीए की मंजूरी आवश्यक	100 प्रतिशत	स्वचालित
8 3.1.	अन्य शर्तें		
	<p>(ए) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं।</p> <p>(बी) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान को परिचालित करने वाली कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति है।</p> <p>(सी) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की भी अनुमति है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :</p> <p>(i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।</p> <p>(ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश/एफपीआई निवेश शामिल होंगे।</p> <p>(iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनियमों/शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।</p>		

	<p>(iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:</p> <p>ए) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है; बी) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और सी) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो।</p> <p>(v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।</p> <p>(vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित होने वाले सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा।</p> <p>टिप्पणी: (i) उपर्युक्त पैरा 8 (1)3. और 8 (2)3. में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा/प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो।</p> <p>(ii) 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में अनिवासी भारतीयों को प्राप्त झूट उपर्युक्त मद 8.3.1(सी)(ii) में विनिर्दिष्ट निवेश क्षेत्र/दायरे पर भी लागू बनी रहेगी।</p> <p>(iii) उपर्युक्त मद 8.3.1(सी) में उल्लिखित नीति मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं है।</p>		
8.3.2	<p>अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के परिचालन करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में विदेशी एयरलाइनों द्वारा निवेश</p>	49% (एनआरआई के लिए 100%)	सरकारी
8.4.	<p>नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तहत अन्य सेवाएं</p>		
	<p>(1) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के अधीन</p>	74 प्रतिशत (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत

			तक सरकारी मार्ग
	(2) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100 प्रतिशत	स्वचालित
9	पैकेज, पार्सल और अन्य मर्दों को ले जाने वाली कूरियर सेवाएं जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के दायरे में नहीं आती हैं, पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर	100 प्रतिशत	सरकार
10.	निर्माण विकास :टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी संरचना		
10.1	निर्माण विकास परियोजनाएं (जिनमें टाउनशिप का विकास, आवास/वाणिज्यिक परिसर, सड़क अथवा पुलों, होटलों, रिसॉर्टों, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, मनोरंजन की सुविधाओं का निर्माण, शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं)	100 प्रतिशत	स्वचालित
<p>निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:</p> <p>(ए) प्रत्येक परियोजना के तहत न्यूनतम विकसित किया जाने वाला क्षेत्र निम्नवत होगा:</p> <p>(i) सेवा-प्राप्त भूखंड के विकास के मामले में, न्यूनतम भूमि क्षेत्र की अपेक्षा का विनिर्देशन नहीं है। (ii) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में 20, 000वर्गमीटर का न्यूनतम फ्लोर एरिया अपेक्षित है।</p> <p>(बी) परियोजना प्रारंभ होने से छह माह के भीतर निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा न्यूनतम 5 मिलियन अमरीकी डालर लाना अपेक्षित होगा। परियोजना का प्रारंभ संबंधित सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बिल्डिंग प्लान/लेआउट को अनुमोदन देने की तारीख होगी। परियोजना के प्रारंभ से दस सालों एवं परियोजना पूरी होने में से जो भी पहले हो तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुवर्ती श्रृंखलाओं (tranches) में लाया जा सकेगा।</p> <p>(सी)(i) निवेशक को परियोजना पूरी होने अथवा बुनियादी (trunk) इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज के विकास के बाद परियोजना से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।</p>			

(ii)सरकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के पूरा होने से पूर्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रत्यावर्तन अथवा एक अनिवासी निवेशक के से दूसरे अनिवासी निवेशक को उसके स्टैक के अंतरण की अनुमति दे सकती है। इन प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नोट (i) में विनिर्दिष्ट संदर्भ के अनुसार मामले - दर - मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।

(डी) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और राज्य सरकार / नगरपालिका/संबंधित स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि के उपयोग संबंधी अपेक्षाओं एवं सामुदायिक सुविधाओं और आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

(ई) भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को केवल विकसित भूखंड बेचने की अनुमति होगी। इस नीति के प्रयोजनार्थ "विकसित भूखंड" का अभिप्राय ऐसे भूखंड से है जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात् जैसे सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हों।

(एफ) भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी जिनमें इमारत/ले-आउट योजना(प्लान), आंतरिक और आस-पास के क्षेत्रों (peripheral areas) और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास, विकास, बाह्य विकास और अन्य प्रभागों का भुगतान, संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के लागू नियमों/उप विधियों/विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल होगा।

(जी) इमारत/डेवलपमेंट प्लान को अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने वाली संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय डेवलपर द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किए जाने की निगरानी करेगी।

नोट:

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी ऐसी कंपनी (एंटिटी) में अनुमत नहीं है जो रियल इस्टेट कारोबार, फार्म हाउसों के कंस्ट्रक्शन एवं अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार (TDRs) में संलग्न हो अथवा उसमें संलग्न होने का प्रस्ताव करती हो।

'रियल इस्टेट कारोबार' का अभिप्राय वही है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के साथ पठित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 1/2000-आरबी में दिया गया है अर्थात् भूमि और अचल संपत्ति का सौदा लाभ कमाने अथवा आय के अर्जन के दृष्टिकोण से किया जाता हो एवं इसमें टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप का निर्माण शामिल नहीं हैं।

	<p>(ii) उपर्युक्त मद (ए) से (सी) तक की शर्तें होटल और टूरिस्ट रिज़ॉर्ट; अस्पतालों; विशेष आर्थिक क्षेत्रों; शैक्षिक संस्थाओं; वृद्धाश्रमों और अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में लागू नहीं होंगी।</p> <p>(iii) उपर्युक्त मद (ए) और (बी) की शर्तें उन निवेश प्राप्तकर्ताओं/संयुक्त जोखिम कंपनियों पर भी लागू नहीं होंगी जो कुल परियोजना लागत के न्यूनतम 30% को सस्ते सुलभ आवासों के लिए आबंटित करने का वादा करती हों।</p> <p>(iv) कोई भारतीय कंपनी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्तकर्ता है, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्ध किसी वास्तुविद से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि न्यूनतम फ्लोर एरिया संबंधी अपेक्षा पूरी की गयी है।</p> <p>(v) संबंधित राज्य सरकार/संघ क्षेत्र के स्थानीय क़ानूनों / विनियमों में दिए अनुसार 'फ्लोर एरिया' परिभाषित होगी।</p> <p>(vi) परियोजना की पूर्णता स्थानीय उप-विनियमों / नियमों और राज्य सरकार के अन्य विनियमों के अनुसार परिभाषित होगी ।</p> <p>(vii) "निर्माण विकास क्षेत्र (Construction Development Sector)" में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के प्रयोजन के लिए सस्ती आवास परियोजनाएं वे समझी जाएंगी जहां 140 वर्ग मीटर से अनधिक फ्लोर एरिया वाली आवासीय इकाइयों के लिए परियोजना के FAR / FSI का न्यूनतम 40% अंश आवासीय इकाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। सस्ते आवास के लिए आरक्षित कुल FAR / FSI में से न्यूनतम ¼ आवासीय क्षेत्र 60 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले नहीं होने चाहिए।</p> <p>(viii) यह स्पष्ट किया जाता है कि टाउनशिप, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिज़नस सेंटर की पूर्ण परियोजनाओं के परिचालन और प्रबंधन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।</p>		
11.	<p>औद्योगिक पार्क - नए और मौजूदा</p>	100 प्रतिशत	स्वचालित
11.1	<p>(i) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों या इमारतदार क्षेत्र या संयुक्त रूप से इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर पर उच्च कोटि की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और इन्हें सभी आबंटिती इकाइयों को औद्योगिक कार्यकलाप के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है।</p> <p>(ii) "बुनियादी संरचना" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं और इनके अंतर्गत सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं।</p> <p>(iii) "सामान्य सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं जिनमें बिजली, सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें,</p>		

	<p>जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य (common) टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन, कन्वेंशन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं।</p>
	<p>(iv) औद्योगिक पार्क में "आबंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है :</p> <p>(ए) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा वाला क्षेत्र शामिल नहीं है।</p> <p>(बी) इमारतदार क्षेत्र के मामले में - फर्शी क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र।</p> <p>(सी) डेवलप की गई भूमि और इमारतदार क्षेत्र के संयुक्त रूप के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फर्शी क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं है।</p> <p>(v) "औद्योगिक कार्यकलाप" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस संबंधी गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक विषय-वस्तु का संवितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज विज्ञान/जीव-विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञान और इंजीनियरी पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विकास; व्यवसाय एवं प्रबंधन संबंधी परामर्शी गतिविधियां; तथा वास्तु कला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां।</p>
11.2	<p>औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले एफडीआई को उपर्युक्त पैरा 11में बताई गई निर्माण विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों :</p> <p>(i) उनमें कम-से-कम 10इकाइयां शामिल हों और कोई भी एकल इकाई आबंटनीय क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी;</p> <p>(iii) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम न हो।</p>
12	<p>उपग्रह - स्थापना और परिचालन</p>

12.1	उपग्रह – स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/आईएसआरओ के क्षेत्र-विशेष संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन है।	74 प्रतिशत	सरकार
13	निजी सुरक्षा एजेंसियां	49 प्रतिशत	सरकार
14	दूरसंचार सेवाएं (दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I सहित) दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I सहित सभी दूर संचार सेवाएं अर्थात् मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वाइस मेल/आडियोटेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी की पुनः बिक्री, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I (डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदाता) प्रदाता, केवल अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग
14.1.1	अन्य शर्तें : 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें से 49% स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एवं 49% से अधिक सरकारी मार्ग के तहत होगा, बशर्ते दूर संचार विभाग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित लाइसेंसी के साथ-साथ निवेशक द्वारा लाइसेंसिंग एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन किया जाए, केवल "अन्य सेवाएं प्रदाताओं" को छोड़कर जिन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।		
15.	व्यापार (ट्रेड)		
15.1.	(i) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार (एमएसई से सोसिंग सहित)	100%	स्वचालित मार्ग
15.1.1.	परिभाषा: कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार का अभिप्राय है कि खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्ताओं या अन्य थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं/व्यापारिक माल की बिक्री करना।		

	<p>तदनुसार, थोक व्यापार का अर्थ होगा – व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लिए बिक्री। बिक्री थोक है या नहीं उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन प्रकार के ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार में पुनः बिक्री, प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री, एक्स-पोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स-बॉन्डेड गोदाम कारोबारी बिक्री तथा बी2बी ई-कॉमर्स शामिल होंगे।</p>
15.1.2.	<p>कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश</p> <p>(ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य सरकार/सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकरण/स्थानीय स्वशासन निकाय के संबंधित अधिनियमों/विनियमों/नियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइसेंस/पंजीकरण/परमिट प्राप्त किए जाने चाहिए।</p> <p>(बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा 'कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ बिक्री तभी माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्नलिखित के साथ किया जाए :</p> <p>(i) बिक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवा कर/उत्पाद शुल्क पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं; अथवा</p> <p>(ii) सरकारी प्राधिकारी/सरकारी निकाय/स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस अर्थात् लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र/पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं जिससे यह पता चले कि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, रखने वाली संस्था/व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों; अथवा</p> <p>(iii) सरकारी प्राधिकारियों/स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए परमिट/लाइसेंस आदि (जैसे कि हॉर्कर्स के लिए तहबजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस) रखने वाली संस्थाएं; अथवा</p> <p>(iv) निगमन प्रमाणपत्र रखने वाली संस्थाएं या अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं।</p> <p>टिप्पणी :कोई संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी ।</p>
	<p>(सी) बिक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण / लाइसेंस/</p>

	<p>परमिट आदि संख्या, बिक्री की राशि, आदि दैनिक आधार पर रखे जाने चाहिए।</p> <p>(डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मूल्य उद्यम के कुल टर्न ओवर के 25प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(ई) लागू विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा सकता है, जिसमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है।</p> <p>(एफ) उपभोक्ता को सीधे ही बिक्री करने के लिए, थोक/कैश एंड कैरी व्यापारी खुदरा दुकानें नहीं खोल सकेगा।</p>		
15.2.	बी टू बी ई-कॉमर्स गतिविधियां	100प्रतिशत	स्वचालित
	<p>ई-कॉमर्स गतिविधियों का अभिप्राय है -ई-कॉमर्स प्लैटफार्म के माध्यम से किसी कंपनी द्वारा खरीदने और बेचने की गतिविधि करना। ऐसी कंपनियां केवल बी2बी ई-कॉमर्स करेंगी न कि खुदरा व्यापार। अन्य बातों के साथ-साथ, इसका यह अभिप्राय होगा कि देशी (घरेलू) व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान प्रतिबंध ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे।</p>		
15.3	सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100प्रतिशत	49% तक स्वचालित मार्ग से 49% से अधिक सरकारी मार्ग से
	<p>(1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बड़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।</p> <p>(2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:</p> <p>(ए) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एक ब्रैंड' (सिंगल ब्रैंड) के होंगे।</p> <p>(बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात् भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए।</p> <p>(सी) 'सिंगल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है।</p> <p>(डी) केवल एक अनिवासी संस्था को, चाहे ब्रैंड का स्वामी हो अथवा अन्यथा, विशिष्ट ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के स्वामी के साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार के अधीन, विशिष्ट ब्रैंड के लिए देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद</p>		

	<p>खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करने वाली संस्था इस आशय का प्रमाण अनुमोदन प्राप्त करते समय प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रूप दिखाने वाले लाइसेंस/फ्रेन्चाइज़/उप लाइसेंस करार की प्रति शामिल होगी। स्वचालित मार्ग के लिए अपेक्षित साक्ष्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पास और अनुमोदन लेने वाले मामले SIA/FIPB के पास फाइल किए जाने चाहिए।</p> <p>(ई) 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य के 30 प्रतिशत की सोर्सिंग भारत से की जाएगी, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में एमएसएमई, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जांच कंपनी द्वारा रखे गए विधिवत प्रमाणित खातों से सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाएगी। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो।</p> <p>(एफ) ई-कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को अनुमत नहीं होगा।</p> <p>(3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार का प्रस्ताव करने वाली कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के आवेदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों को छोड़कर, उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध करायी जाएगी।</p> <p>(4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।</p>		
15.4	मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	सरकार
	(1) सभी उत्पादों में मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:		

(i) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा मांस उत्पाद सहित ताजे कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं।

(ii) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की लायी जाने वाली न्यूनतम राशि 100मिलियन अमरीकी डालर होगी।

(iii) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से, प्रथम किस्त के रूप में लाए गए 100मिलियन अमरीकी डालर की कम से कम 50प्रतिशत राशि 3वर्ष के भीतर 'बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश की जाएगी, जहां बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा, जबकि इसमें फ्रंट एंड यूनिटों पर हुआ व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण के लिए, बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत तथा किराए पर किए गए व्यय, यदि कोई हों, की गणना बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन में शामिल नहीं होगी। बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में बाद में किए जाने वाले निवेश कारोबारी अपेक्षाओं के आधार पर मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापारी द्वारा किए जाएंगे।

(iv) खरीद गये विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के मूल्य का कम-से-कम 30प्रतिशत भारतीय माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों से सोर्स किया जाएगा जिनका संयंत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 2 00. मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। यह मूल्यन संस्थापन के समय का मूल्य है, जिसमें मूल्यह्रास का प्रावधान (शामिल) नहीं है। 'लघु उद्योग' का दर्जा खुदरा व्यापारी के साथ पहली बार जुड़ने के समय का ही है और ऐसा उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में पात्र माना जाता रहेगा, भले ही खुदरा व्यापारी के साथ जुड़ाव के दौरान उसके उक्त 2 00.मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के आकार में इजाफा हो जाए। कृषि सहकारी समितियों और कृषक सहकारी समितियों से सोर्सिंग को भी इसी श्रेणी में माना जाएगा। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।

(v) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (i), (ii) और (iv) की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते रखेंगे।

(vi) खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011की जनगणना के अनुसार 10लाख से अधिक है अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य नगरों भी स्थापित किए जा सकते हैं जिनमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/शहरी स्थानों के 10किलोमीटर में आने वाले आस-पास के क्षेत्र भी शामिल होंगे; खुदरा स्थल संबंधित

शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे।

(vii) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा।

(viii) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (अनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएं जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहमति देंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनकी सूची नीचे क्रमांक (2) में दी गयी है। भविष्य में इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमति देने की सूचना औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दी जाएगी और तदनुसार, वह क्रमांक (2) में शामिल कर दी जाएगी। खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना दुकान तथा स्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अनुपालन में की जाएगी।

(ix) ई-कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार की अनुमति बहु-ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को नहीं होगी।

(x) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।

(2) पैराग्राफ 15.4.(1)(viii) में उल्लिखित राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों की सूची

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. दिल्ली
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू और कश्मीर
7. कर्नाटक
8. महाराष्ट्र
9. मणिपुर
10. राजस्थान
11. उत्तराखंड
12. दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (केंद्र शासित क्षेत्र)

वित्तीय सेवाएं

	नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी:		
एफ.1	परिसंपत्तियों (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)		
एफ. 11.	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो।	100%	49% तक स्वचालित मार्ग से 49% से अधिक सरकारी मार्ग से
एफ.1.1 .2	अन्य शर्तें:		
	<p>(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनी की पूंजी में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक और सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 49% से अधिक निवेश कर सकते हैं।</p> <p>(ii) कोई भी प्रवर्तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा विदेशी संस्थागत निवेश/विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माफत एकल प्रवर्तक के रूप में किसी भी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के 50% से अधिक शेयरों का धारण नहीं कर सकता है।</p> <p>(iii) किसी भी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की कुल शेयरधारिता प्रदत्त पूंजी के 10% से कम होगी।</p> <p>(iv) विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एसआर योजना की प्रत्येक श्रृंखला में 7 4प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश समय-समय पर कापॉरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेश/विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए विनिर्दिष्ट सीमा में और मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमावली के अंतर्गत सेक्टरल कैप के अनुपालन में होनी चाहिए।</p> <p>(v) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा (3)3(एफ) के प्रावधानों के अधीन होंगे।</p>		
एफ.2	बैंकिंग-निजी क्षेत्र		

<p>एफ. 2.1</p>	<p>बैंकिंग-निजी क्षेत्र</p> <p>इस 74% की सीमा में एफआईआई/एफपीआई, एनआरआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किए गए निवेश और पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, जीडीआर/एडीआर सहित मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अर्जित शेयर इसमें शामिल होंगे।</p>	<p>74% (एफआईआई/ एफपीआई 49% तक)</p>	<p>49% तक स्वचालित मार्ग से 49% से ज्यादा और 74% तक सरकारी मार्ग से</p>
<p>एफ.2.2</p>	<p>अन्य शर्तें:</p>		
<p>(1) किसी निजी बैंक में सभी स्रोतों से होने वाला समग्र विदेशी निवेश उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 74% तक ही अनुमत होगा। किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 26% हिस्सा सदैव निवासियों (भारतीयों) के पास रहेगा।</p> <p>(2) उल्लिखित शर्तें निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों में किए जाने वाले सभी निवेशों पर भी लागू होंगी।</p> <p>(3) एफआईआई/एफपीआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जाने वाले निवेश की अनुमत सीमाएं निम्नानुसार होंगी:</p> <p>(i) एफआईआई / एफपीआई के मामले में अब तक की भांति किसी एक एफआईआई/ एफपीआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10% से कम रहेगी और सभी एफआईआई/ एफपीआई/क्यूएफआई के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24% से अधिक नहीं होगी। इस सीमा को संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 49% तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक के निदेशक मंडल ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो और तदनंतर आम सभा द्वारा भी इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया गया हो।</p>			
<p>(ए) इस तरह से एफआईआई / एफपीआई द्वारा किए जानेवाले निवेश की सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49% के भीतर बनी रहेगी।</p> <p>(बी) एनआरआई के मामले में, अब तक की भांति, एकल धारिता प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 5% तक सीमित है और समग्र सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि उक्त बैंकिंग कंपनी अपनी आम सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित कराती है तो उसमें एनआरआई धारिता को प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 24% तक रखने की अनुमति दी जा सकती है।</p>			

(सी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम / सहायक संस्था रखने वाले निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाएंगे ताकि वह बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के परामर्श से यह सुनिश्चित कर सके कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता ने 49% की सीमा को भंग नहीं किया है।

(डी) एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए विनियम 14(5) के अनुसार यथा लागू रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी।

(ई) इन मामलों में रिज़र्व बैंक और सेबी, कंपनी मामले निदेशालय एवं इरडा जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं कार्यविधियां लागू बनी रहेंगी।

(एफ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के मार्फत अर्जन के परिणाम स्वरूप किसी बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक पर उसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण हासिल होता हो तो ऐसे मामले में निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के मार्फत अर्जन से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अनिवासी निवेशकों पर भी लागू होंगे।

(ii) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था/कंपनी की स्थापना

(ए) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था, दोनों में से किसी एक को ही रखने की अनुमति दी जाएगी।

(बी) ऐसे विदेशी बैंक जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा विनियमित हैं और रिज़र्व बैंक की लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें 100 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सकें।

(सी) कोई विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात् (i) शाखाएं (ii) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था और (iii) किसी निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था के रूप में से किसी एक चैनल के द्वारा ही परिचालन कर सकता है।

(डी) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर अथवा नए बैंकिंग लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विदेशी बैंक को निजी क्षेत्र के किसी मौजूदा बैंक के शेयरों का अर्जन कर एक सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते ऊपर पैरा (i)(बी) में दी गई शर्त के अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी हमेशा निवासियों की धारिता में रहे।

(ई) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी सभी अपेक्षाओं और निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए मोटे तौर पर लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

	<p>(एफ) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना से संबंधित दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।</p> <p>(जी) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थापना करने अथवा अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित सभी आवेदन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>(iii) इस समय बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार दस प्रतिशत तक सीमित है और इसे संभावित निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन, अंतिम नीतिगत निर्णय लिए जाने और संसद का उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।</p>
--	--

एफ़.3	बैंकिंग – सार्वजनिक क्षेत्र		
एफ़.3.1	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 के अधीन है। यह सीमा (20%) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों पर भी लागू है।	20%	सरकारी मार्ग से
एफ़.4	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)		
एफ़.4.1	<p>1. पण्यों की फ्यूचर्स ट्रेडिंग को फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत विनियमित किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कमोडिटी एक्सचेंज पण्यों के फ्यूचर्स बाजार की बुनियादी कंपनियां हैं। वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य सर्वोत्तम पद्धतियों, आधुनिक प्रबंधन कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया कि पण्य बाजारों में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जाए।</p> <p>2. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,</p> <p>(i) “पण्य बाजार” फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो पण्यों के वायदा संविदा कारोबार के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है।</p> <p>(ii) “मान्यता प्राप्त संस्था” से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जिसे फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल मान्यता प्रदान की गई है।</p> <p>(iii) “संस्था” से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे निकाय, निगमित अथवा अनिगमित, से है जो किसी वस्तु अथवा कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री या खरीद के कारोबार को विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजन से गठित किया गया हो।</p> <p>(iv) “फॉरवर्ड संविदा” से अभिप्राय ऐसी संविदा से है जो वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए है और जो एक तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है।</p>		

	(v) "कमोडिटी डेरिवेटिव" से अभिप्राय है -		
	<ul style="list-style-type: none"> • वस्तुओं की सुपुर्दगी की एक संविदा जो तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है; अथवा • मूल्यों में अंतर की एक ऐसी संविदा जिसका मूल्यांकन कीमतों अथवा ऐसी अन्तर्निहित वस्तुओं या गतिविधियों, सेवाओं, अधिकारों, हितों और घटनाक्रमों के मूल्य सूचकांकों पर आधारित हो जो केंद्र सरकार द्वारा फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है लेकिन इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं होंगी। 		
एफ़.4.2	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)	49 %	स्वचालित मार्ग से
एफ़.4.3	अन्य शर्तें : (i) एफआईआई / एफपीआई द्वारा की जाने वाली खरीद द्वितीयक बाजार तक ही सीमित होगी । (ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित, इन कंपनियों की इक्विटी में 5% से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकते हैं। (iii) कमोडिटी एक्सचेंज में किया जाने वाला विदेशी निवेश केंद्र सरकार / फॉरवर्ड मार्केट कमिशन (FMC) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगा ।		
एफ़.5	ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)		
एफ़.5.1	ऋण आसूचना कंपनियां	74%	स्वचालित मार्ग से
एफ़.5.2	अन्य शर्तें : (1) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी (ऋण आसूचना) कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधीन होगा। (2) विदेशी निवेश की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी के अधीन होगी। (3) इस प्रकार के एफआईआई/एफपीआई निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10% से कम हो; (बी) किसी भी अधिग्रहण के, 1% से अधिक होने पर इसकी सूचना अनिवार्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।		
एफ़. 6	प्रतिभूति बाज़ार में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी		
एफ़.6.1	सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	49%	स्वचालित मार्ग से
एफ़.6.2	अन्य शर्तें:		
एफ़.6.2.1	एफआईआई/एफपीआई केवल द्वितीयक बाज़ारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर		

	सकते हैं		
एफ़.7.	बीमा		
एफ़.7.1	बीमा (i) बीमा कंपनी (ii) बीमा ब्रोकर (iii) थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (iv) सर्वेयर और हानि आकलक (loss assessors) (v) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों अंतर्गत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाएं	49%	26% तक स्वचालित मार्ग से; 26% से 49% तक सरकारी मार्ग से
एफ़.7.2	<p>अन्य शर्तें:</p> <p>(ए) किसी भी भारतीय बीमा कंपनी के ईक्विटी शेयरों में पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा उसके एक्विटी शेयरों में की जाने वाली विदेशी निवेश की समग्र होल्डिंग उस भारतीय बीमा कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के 49% से अधिक नहीं होगी;</p> <p>(बी) भारतीय बीमा कंपनी में 26% से अधिक एवं 49% की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों में विदेशी निवेश सरकारी मार्ग के तहत होगा।</p> <p>(सी) इस क्षेत्र में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा और इस शर्त के अधीन होगा कि एफडीआई लाने वाली कंपनियां बीमा गतिविधियों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेंगी।</p> <p>(डी) भारतीय बीमा कंपनी 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.115(ई) के संदर्भ में यह सुनिश्चित करे कि उसका स्वामित्व एवं नियंत्रण हमेशा निवासी भारतीय एंटीटियों के हाथ में ही रहे।</p> <p>(ई) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फेमा विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप विनियम (2), (2ए), (3) एवं (8) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली के प्रावधानों के अधीन होगा।</p> <p>(एफ़) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में किसी भी प्रकार की बढोत्तरी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा के तहत जारी कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।</p> <p>(जी) 49% तक की 'विदेशी ईक्विटी निवेश सीमा' संबंधी उल्लिखित शर्तें बीमा ब्रोकरों, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरों, सर्वेयर एवं हानि आकलकों एवं बीमा विनियामक और विकास</p>		

	<p>प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के तहत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं पर भी लागू होंगी।</p> <p>(एच) बशर्ते यह कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्ती बीमा संस्था/कंपनी के रूप में अनुमत कोई एंटीटी यदि बैंक है, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से भिन्न (अर्थात् गैर-बीमा) है, तो उसमें विदेशी ईक्विटी निवेश की उच्चतम सीमा उस क्षेत्र के लिए लागू सीमा होगी और यह भी कि किसी भी वित्त वर्ष में उस एंटीटी का अपने प्राथमिक कारोबार (गैर-बीमा क्षेत्र से) से प्राप्त राजस्व उसके समग्र राजस्व के 50% से अधिक होना चाहिए।</p> <p>(आई) बैंक प्रवर्तित (promoted) बीमा कंपनियों के लिए "बैंकिंग-निजी क्षेत्र" संबंधी पैराग्राफ सं. एफ़. 2. 2(3)(i) (सी) एवं (डी) के उपबंध लागू होंगे।</p> <p>(जे) 'नियंत्रण', 'ईक्विटी शेयर पूंजी', 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)', 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण', 'भारतीय स्वामित्व', 'अनिवासी एंटीटी', 'सार्वजनिक वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी निवेश' शब्दावली का अर्थ वही होगा जो 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.115 (ई) में दिया गया है।</p>		
एफ़.8.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)		
एफ़.8.1	<p>गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में स्वचालित मार्ग के तहत केवल निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश की अनुमति होगी:</p> <p>(i) मर्चेन्ट बैंकिंग</p> <p>(ii) हामीदारी</p> <p>(iii) पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं</p> <p>(iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं</p> <p>(v) वित्तीय परामर्श</p> <p>(vi) शेयर ब्रोकिंग</p> <p>(vii) आस्ति प्रबंधन</p> <p>(viii) जोखिम पूंजी (वेंचर केपिटल)</p> <p>(ix) अभिरक्षक सेवाएं</p> <p>(x) फैक्ट्रिंग</p> <p>(xi) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी</p> <p>(xii) लीजिंग तथा वित्त</p> <p>(xiii) आवास वित्त</p> <p>(xiv) फारेक्स ब्रोकिंग</p> <p>(xv) क्रेडिट कार्ड कारोबार</p>	100%	स्वचालित मार्ग से

	(xvi) मुद्रा परिवर्तन कारोबार (xvii) माइक्रो क्रेडिट (xviii) ग्रामीण ऋण		
एफ.8.2	अन्य शर्तें		
<p>(1) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों के अधीन होगा:</p> <p>(i) 51% तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे।</p> <p>(ii) 51% से अधिक परंतु 75% तक की विदेशी पूंजी के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे।</p> <p>(iii) 75% से अधिक की विदेशी पूंजी के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें से 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर को प्रारंभिक रूप में लाया जाना होगा और शेष को 24 महीनों के भीतर लाया जाएगा।</p> <p>(iv) एनबीएफसी जिनमें (i) 75% से अधिक तथा 100% तक का विदेशी निवेश है तथा (ii) जिनका न्यूनतम पूंजीकरण 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए और कार्यरत अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए उप-अनुषंगी संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं। तदनुसार, समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति पर डीआईपीपी के परिपत्र 1 के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त निचले स्तर की अनुषंगी संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।</p> <p>(v) संयुक्त उद्यम द्वारा परिचालित होने वाली एनबीएफसी भी, जिनमें विदेशी निवेश 75% या उससे कम हैं, अन्य एनबीएफसी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अनुषंगी संस्थाएं गठित कर सकती हैं, बशर्ते अनुषंगी संस्थाएं उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) तथा निम्नलिखित (vi) में वर्णित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती हों।</p> <p>(vi) गैर निधि आधारित गतिविधियां: विदेशी निवेश के स्तर पर विचार किए बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुमति प्राप्त सभी गैर निधि आधारित एनबीएफसी को 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे: ऐसी किसी कंपनी को किसी अन्य गतिविधि के लिए कोई अनुषंगी संस्था गठित करने और किसी एनबीएफसी होल्डिंग/परिचालन कंपनी की ईक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी: निम्नलिखित गतिविधियों को गैर निधि आधारित गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:</p> <p>(ए) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं</p>			

	<p>(बी) वित्तीय परामर्श (सी) फारेक्स ब्रोकिंग (डी) मुद्रा परिवर्तन कारोबार (ई) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी</p> <p>(vii) ये सभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।</p> <p>टिप्पणी : (i) क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों यथा - क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य वर्धित कार्ड आदि का निर्गमन, बिक्री, विपणन एवं डिजाईनिंग शामिल है।</p> <p>(ii) लीज़िंग तथा वित्त में सिर्फ वित्तीय लीज़ को ही शामिल किया जाएगा, परिचालन लीज़ इसमें शामिल नहीं होंगी। परिचालन लीज़ में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।</p> <p>(2) एनबीएफसी को उनसे संबंधित विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यथा लागू, का अनुपालन करना होगा।</p>		
एफ.8.3	हवाइट लेबल एटीएम परिचालन/कार्य	100%	स्वचालित
	<p>अन्य शर्तें:</p> <p>i. हवाइट लेबल एटीएम स्थापित करने की इच्छुक किसी गैर बैंकिंग एंटीटी की न्यूनतम निवल मालियत नवीनतम वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार रु. 100 करोड़ होनी चाहिए जिसे हमेशा बनाए रखा जाएगा।</p> <p>ii. यदि ऐसी एंटीटी 18 एनबीएफसी गतिविधियों में से किसी में भी संलग्न हो तो हवाइट लेबल एटीएम स्थापित करने वाली ऐसी कंपनी में विदेशी निवेश के लिए एनबीएफसी में विदेशी निवेश हेतु लागू न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों का भी अनुपालन करना होगा जैसाकि पैरा एफ.8.2 में उपबंधित है।</p> <p>iii. हवाइट लेबल एटीएम परिचालनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. DPSS.CO.PD.No.2298/02.10.002/2011-12 में दिए गए दिशानिर्देशों, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार किए जा सकेंगे।</p>		
एफ़. 9	पावर एक्सचेंज		
एफ़.9.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमावली, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49%	स्वचालित मार्ग से
एफ़.9.2	अन्य शर्तें		
	(i) एफआईआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही		

	सीमित होगी; (ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था जिनमें मिलकर कार्य कर रहे व्यक्ति भी शामिल हैं, इन कंपनियों की 5% से अधिक इक्विटी धारित नहीं कर सकेंगे; और (iii) विदेशी निवेश सेबी के विनियमावली, अन्य लागू कानूनों/विनियमनों, सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।		
एफ़.10	पेंशन क्षेत्र	49%	26% तक स्वचालित मार्ग से; 26% से 49 % तक सरकारी मार्ग से
16.	फार्मास्यूटिकल		
16.1	ग्रीन फील्ड	100%	स्वचालित
16.2	ब्राउन फील्ड	100%	सरकारी
16.3	अन्य शर्तें		
	<p>(i) विशिष्ट परिस्थितियों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन को छोड़कर अन्य मामलों में 'गैर-प्रतिस्पर्धी' खंड/शर्त की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(ii) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता के लिए यह अपेक्षित होगा कि एफ़आईपीबी आवेदन के साथ उक्त आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।</p> <p>(iii) ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन देते समय सरकार उचित शर्तें लगा सकती है।</p> <p>नोट :</p> <p>i. चिकित्सा उपकरणों (डिवाइसेज़) के उत्पादन हेतु स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अतः उल्लिखित शर्तें इस उद्योग के ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी।</p> <p>ii. मेडिकल डिवाइस (उपकरण) अर्थात :-</p> <p>ए) विनिर्माता द्वारा अपेक्षित सॉफ्टवेयर सहित कोई भी यंत्र(instrument), उपकरण(apparatus), औज़ार(appliances), इंप्लांट, सामग्री अथवा अन्य वस्तुएँ, जो अकेले अथवा अन्य उपकरणों के साथ मिलकर विशेषतः मनुष्य अथवा पशुओं के लिए निम्नलिखित एक अथवा बहुविध विशिष्ट उद्देश्यों से उपयोग में लाये जाते हों, जैसे :</p> <p>(एए) किसी बीमारी अथवा विकार की पहचान, रोकथाम, निगरानी, इलाज अथवा राहत के लिए;</p>		

	<p>(एबी) किसी जखम अथवा विकलांगता की पहचान, निगरानी, इलाज, राहत अथवा सहायता के लिए;</p> <p>(एसी) शारीरिक संरचना अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जांच, बदलाव अथवा सुधार अथवा सहायता के लिए</p> <p>(एडी) जीवन-रक्षा और जान बचाने में सहायक;</p> <p>(एई) मेडिकल उपकरणों का विसंक्रमण;</p> <p>(एएफ) गर्भाधान नियंत्रण</p> <p>एवं ऐसे उपकरण, जो मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर पर / में किसी औषधीय अथवा प्रतिरक्षात्मक और चयापचय के माध्यम से अपनी मूल कार्यवाही के उद्देश्य को सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, किन्तु इन माध्यमों के कार्य में सहायक होते हैं;</p> <p>बी) इस प्रकार के यंत्र, उपकरणों, औजारों, सामग्री अथवा वस्तुओं के सहायक उप-साधन;</p> <p>(सी) उपकरण जो अभिकर्मक(reagent), अभिकर्मक-उत्पाद, कैलिब्रेटर (Calibrator), नियंत्रण सामग्री, किट, इन्स्ट्रुमेंट, उपकरण(apparatus), औज़ार(appliances) अथवा सिस्टम जो अकेले अथवा किसी अन्य उपकरण के साथ परीक्षण एवं चिकित्सा अथवा निदान के उद्देश्य से सूचना देने के लिए मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर के नमूने (specimens) के विट्रो-परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हों;</p> <p>iii. उपर्युक्त नोट (ii) में दी गई चिकित्सा उपकरण की परिभाषा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन के अधीन होगी।</p>		
17	<p>रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर</p> <p>निम्नलिखित का विनिर्माण, रख-रखाव एवं परिचालन: (i) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से उपनगरीय रेल कोरीडोर, (ii) स्पीड ट्रेन परियोजनाएं, (iii) केवल माल ढुलाई के लिए विशिष्ट लाइनें, (iv) ट्रेन सेटों सहित रोलिंग स्टॉक, और लोकोमोटिव/कोच निर्माण एवं रखरखाव सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्नलिंग सिस्टम, (vii) फ्रेट टर्मिनल, (viii) यात्री टर्मिनल, (ix) औद्योगिक पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबन्धित रेलवे लाइनें/साईडिंग सहित विद्युतीकृत रेलवे लाइनें और मुख्य लाइनों से जोड़ने वाली लाइनें, एवं (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।</p>	100%	स्वचालित मार्ग से

	<p>नोट :-</p> <p>(i) उल्लिखित गतिविधियों में निवेश रेल मंत्रालय के सेक्टरल दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी भागीदारी के लिए खुला होगा।</p> <p>(ii) संवेदनशील क्षेत्रों में, 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी द्वारा, मामले -दर- मामले के आधार पर, विचार किया जाएगा।</p>
--	--

3. छूट

लागू नीति के अनुसार पहले से ही किए गए मौजूदा विदेशी निवेश को इन संशोधनों के अनुरूप होने के लिए किसी आशोधन की अपेक्षा नहीं होगी।

[सं. 1/22/ईएम-2015]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी:

मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं.406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005

सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013

सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014

सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
 सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
 सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
 सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
 सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
 सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
 सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
 सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
 सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
 सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
 सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
 सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
 सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
 सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015

**RESERVE BANK OF INDIA
 (FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)**

CENTRAL OFFICE

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th October, 2015

No. FEMA.354/2015-RB

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person
 Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2015**

G.S.R. 823(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette

2. Amendment of the Regulation

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), (A) in Regulation 14,

(i) in sub-regulation 1, in the existing clause '(x)' the following shall be inserted, namely:

“Explanation:

(i) Total Foreign Investment shall include all types of foreign investments, direct and indirect, regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1, Schedule 2, Schedule 2A, Schedule 3, Schedule 6, Schedule 8, Schedule 9 and Schedule 10 of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000.

(ii) Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB) and Depository Receipts (DR) having underlying of instruments which can be issued under Schedule 5, being in the nature of debt, shall not be treated as foreign investment. However, any equity holding by a person resident outside India resulting from any conversion of any debt instrument under any arrangement shall be reckoned as foreign investment.”

(ii) in sub-regulation 3, the existing clause (ii) shall be substituted by the following, namely:

“**Counting of indirect foreign investment:** For the purpose of computation of indirect foreign investment, foreign investment in an Indian company shall include all types of foreign investments regardless of whether the said investments have been made under Schedules 1, 2 (FII holding as on March 31), 2A (FPI holding as on March 31), 3, 6, 8, 9 and 10 of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations, 2000. FCCBs and DRs having underlying of instruments which can be issued under Schedule 5, being in the nature of debt, shall not be treated as foreign investment. However, any equity holding by a person resident outside India resulting from conversion of any debt instrument under any arrangement shall be reckoned as foreign investment.”

B. Amendment of Schedule 1

(i) In Schedule 1, in paragraph 2 (1), after the words “from time to time’ the following proviso shall be inserted

“Provided that

- a. In the sectors/activities mentioned in the Annex B to the Schedule, foreign investment upto the limit indicated against each sector/activity is allowed subject to the conditions of the extant policy on specified sectors and applicable laws/regulations; security and other conditionalities. In sectors/activities not listed therein, foreign investment is permitted upto 100% on the automatic route, subject to applicable laws/regulations; security and other conditionalities.
- b. Wherever there is a requirement of minimum capitalization it shall include share premium received along with the face value of the share, only when it is received by the company upon issue of the shares to the non-resident investor. Amount paid by the transferee during post-issue transfer of shares beyond the issue price of the share, cannot be taken into account while calculating minimum capitalization requirement.

- c. "Sectoral cap" i.e. the maximum amount which can be invested by foreign investors in an entity, unless provided otherwise, is composite and includes all types of foreign investments, direct and indirect, regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1, 2, 2(A), 3, 6, 8, 9 and 10 of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations, 2000. FCCBs and DRs having underlying of instruments which can be issued under Schedule 5, being in the nature of debt, shall not be treated as foreign investment. However, any equity holding by a person resident outside India resulting from conversion of any debt instrument under any arrangement shall be reckoned as foreign investment under the composite cap. Sectoral cap is as per table appended below.
- d. Total foreign investment, direct and/or indirect, in an entity will not exceed the sectoral/statutory cap.
- e. Foreign investment in sectors under Government approval route resulting in transfer of ownership and/or control of Indian entities from resident Indian citizens to non-resident entities will be subject to Government approval. Foreign investment in sectors under automatic route but with conditionalities, resulting in transfer of ownership and/or control of Indian entities from resident Indian citizens to non-resident entities, will be subject to compliance of such conditionalities.
- f. Notwithstanding anything contained in paragraphs (a), (b) and (e) above, portfolio investment upto aggregate foreign investment level of 49% or sectoral/statutory cap, whichever is lower, will not be subject to either Government approval or compliance of sectoral conditions, as the case may be, if such investment does not result in transfer of ownership and/or control of Indian entities from resident Indian citizens to non-resident entities. Other foreign investments will be subject to conditions of Government approval and compliance of sectoral conditions as laid down in the FDI policy.
- g. The onus of compliance with the sectoral/statutory caps on foreign investment and attendant conditions, if any, shall be on the company receiving foreign investment.

(ii) In the existing provision, for the words, " Provided", the words "Provided further" shall be substituted.

(iii) In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1, Annex B shall be substituted as under:

Foreign Investments caps and entry route in various sectors

SL.No	Sector/Activity	Foreign Investment Cap (%)	Entry Route
Agriculture			
1.	Agriculture & Animal Husbandry		
	a) Floriculture, horticulture, Apiculture and Cultivation Of vegetables & mushrooms under controlled conditions;	100%	Automatic
	b) Development and production of seeds and planting material;		
	c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisciculture, Aquaculture, under controlled		

	<p>conditions; and</p> <p>d) Services related to agro and allied sectors.</p> <p>Note :Besides the above, FDI is not allowed in any other agricultural sector/activity</p>		
1.1	Other Conditions		
	<p>I. For companies dealing with development of transgenic seeds/vegetables, the following conditions apply:</p> <p>(i) When dealing with genetically modified seeds or planting material the company shall comply with safety requirements in accordance with laws enacted under the Environment (Protection) Act on the genetically modified organisms.</p> <p>(ii) Any import of genetically modified materials if required shall be subject to the conditions laid down vide Notifications issued under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.</p> <p>(iii) The company shall comply with any other Law, Regulation or Policy governing genetically modified material in force from time to time.</p> <p>(iv) Undertaking of business activities involving the use of genetically engineered cells and material shall be subject to the receipt of approvals from Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) and Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM).</p> <p>(v) Import of materials shall be in accordance with National Seeds Policy.</p> <p>II. The term ‘under controlled conditions’ covers the following:</p> <p>(i) ‘Cultivation under controlled conditions’ for the categories of Floriculture, Horticulture, Cultivation of vegetables and Mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro- climatic conditions are regulated anthropogenically.</p> <p>(ii) In case of Animal Husbandry, scope of the term ‘under controlled conditions’ covers –</p> <p>(a) Rearing of animals under intensive farming systems with stall- feeding. Intensive farming system will require climate systems (ventilation, temperature/humidity management), health care and nutrition, herd registering/pedigree recording, use of machinery, waste management systems as prescribed by the National Livestock Policy 2013 and in conformity with the existing ‘Standard Operating Practices and Minimum Standard Protocol.’</p> <p>(b) Poultry breeding farms and hatcheries where micro-climate is controlled through advanced technologies like incubators, ventilation systems etc.</p> <p>(iii) In the case of pisciculture and aquaculture, scope of the term ‘under controlled conditions’ covers –</p> <p>(a) Aquariums</p> <p>(b) Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control.</p> <p>(iv) In the case of apiculture, scope of the term ‘‘under controlled conditions’ covers –Production of honey by bee-keeping, except in forest/wild, in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons.</p>		
2.	Tea Plantation		
2.1	<p>Tea sector including tea plantations</p> <p>Note: Besides the above, FDI is not allowed in any other plantation sector/activity</p>	100%	Government
2.2	Other Condition		
	Prior approval of the State Government concerned is required in case of any future land use change		

3.	MINING		
3.1	Mining and Exploration of metal and non-metal ores including diamond, gold, silver and precious ores but excluding titanium bearing minerals and its ores; subject to the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.	100%	Automatic
3.2	Coal and Lignite		
	(1) Coal & Lignite mining for captive consumption by power projects, iron & steel and cement units and other eligible activities permitted under and subject to the provisions of Coal Mines (Nationalization) Act, 1973.	100%	Automatic
	(2) Setting up coal processing plants like washeries, subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing.	100%	Automatic
3.3	Mining and mineral separation of titanium bearing minerals and ores, its value addition and integrated activities		
3.3.1	Mining and mineral separation of titanium bearing minerals & ores, its value addition and integrated activities subject to sectoral regulations and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.	100%	Government
3.3.2	Other Conditions		
<p>India has large reserves of beach sand minerals in the coastal stretches around the country. Titanium bearing minerals viz. Ilmenite, rutile and leucosene and Zirconium bearing minerals including zircon are some of the beach sand minerals which have been classified as 'prescribed substances' under the Atomic Energy Act, 1962.</p> <p>Under the Industrial Policy Statement 1991, mining and production of minerals classified as 'prescribed substances' and specified in the Schedule to the Atomic Energy (Control of Production and Use) Order, 1953 were included in the list of industries reserved for the public sector. Vide Resolution No. 8/1(1)/97-PSU /1422 dated 6th October, 1998 issued by the Department of Atomic Energy laying down the policy for exploitation of beach sand minerals, private participation including Foreign Direct Investment (FDI), was permitted in mining and production of Titanium ores (Ilmenite, Rutile and Leucosene) and Zirconium minerals (Zircon).</p> <p>Vide Notification No. S.O. 61(E), dated 18-1-2006, the Department of Atomic Energy re-notified the list of 'prescribed substances' under the Atomic Energy Act, 1962. Titanium bearing ores and concentrates (Ilmenite, Rutile and Leucosene) and Zirconium, its alloys and compounds and minerals/ concentrates including Zircon, were removed from the list of 'prescribed substances'.</p> <p>(i) FDI for separation of titanium bearing minerals & ores will be subject to the following additional</p>			

	<p>conditions viz:</p> <p>(A) value addition facilities are set up within India along with transfer of technology;</p> <p>(B) disposal of tailings during the mineral separation shall be carried out in accordance with regulations framed by the Atomic Energy Regulatory Board such as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987.</p> <p>(ii) FDI will not be allowed in mining of 'prescribed substances' listed in the Notification No. SO 61(E), dated 18-1-2006 issued by the Department of Atomic Energy.</p>		
	<p>Clarification:(1) For titanium bearing ores such as Ilmenite, Leucoxene and Rutile, manufacture of titanium dioxide pigment and titanium sponge constitutes value addition, Ilmenite can be processed to produce Synthetic Rutile or Titanium Slag as an intermediate value added product.</p> <p>(2) The objective is to ensure that the raw material available in the country is utilized for setting up downstream industries and the technology available internationally is also made available for setting up such industries within the country. Thus, if with the technology transfer, the objective of the FDI Policy can be achieved, the conditions prescribed at (I) (A) above shall be deemed to be fulfilled.</p>		
4.	Petroleum & Natural Gas		
4.1	Exploration activities of oil and natural gas fields, infrastructure related to marketing of petroleum products and natural gas, marketing of natural gas and petroleum products, petroleum product pipelines, natural gas/pipelines, LNG Regasification infrastructure, market study and formulation and Petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector and the policy of the Government on private participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies.	100%	Automatic
4.2	Petroleum refining by the Public Sector Undertakings (PSUs), without any disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs.	49%	Automatic
5.	Defence		
5.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951	49%	Government route up to 49% Above 49% to Cabinet Committee on Security (CCS) on case to case basis, wherever it is likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country.
	<p>Note: (i) The above limit of 49% is composite and includes all kinds of foreign investments i.e. Foreign Direct Investment (FDI), Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors (FPIs), Non Resident Indians (NRIs) and Foreign Venture Capital Investors (FVCI) regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1 (FDI), 2 (FII), 2A (FPI), 3 (NRI), 6 (FVCI) and 8 (QFI) of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations.</p> <p>(ii) Portfolio investment by FPIs/FIIs/NRIs and investments by FVCIs together will not exceed 24% of the total equity of the investee/joint venture company. Portfolio investments will be under automatic</p>		

	route.
5.2	Other Conditions
	<ol style="list-style-type: none"> i. Licence applications will be considered and licences given by the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in consultation with Ministry of Defence and Ministry of External Affairs. ii. The applicant company seeking permission of the Government for FDI up to 49% should be an Indian company owned and controlled by resident Indian citizens. iii. The management of the applicant company should be in Indian hands with majority representation on the Board as well as the Chief Executives of the company/partnership firm being resident Indians. iv. Chief Security Officer (CSO) of the investee/ joint venture company should be resident Indian citizen. v. Full particulars of the Directors and the Chief Executives should be furnished along with the applications. vi. The Government reserves the right to verify the antecedents of the foreign collaborators and domestic promoters including their financial standing and credentials in the world market. Preference would be given to original equipment manufacturers or design establishments and companies having a good track record of past supplies to Armed Forces, Space and Atomic energy sections and having an established R & D base. vii. There would be no minimum capitalization for the FDI. A proper assessment, however, needs to be done by the management of the applicant company depending upon the product and the technology. The licensing authority would satisfy itself about the adequacy of the net worth of the non-resident investor taking into account the category of weapons and equipment that are proposed to be manufactured. viii. The Ministry of Defence is not in a position to give purchase guarantee for products to be manufactured. However, the planned acquisition programme for such equipment and overall requirements would be made available to the extent possible. ix. Investee/joint venture company should be structured to be self-sufficient in areas of product design and development. The investee/joint venture company along with manufacturing facility, should also have maintenance and life cycle support facility of the product being manufactured in India. x. Import of equipment for pre-production activity including development of prototype by the applicant company would be permitted. xi. Adequate safety and security procedures would need to be put in place by the licensee once the licence is granted and production commences. These would be subject to verification by authorized Government agencies. xii. The standards and testing procedures for equipment to be produced under licence from foreign collaborators or from indigenous R & D will have to be provided by the licensee to the Government nominated quality assurance agency under appropriate confidentiality clause. The nominated quality assurance agency would inspect the finished product and would conduct surveillance and audit of the Quality Assurance Procedures of the licensee. Self-certification would be permitted by the Ministry of Defence on case to case basis, which may involve either individual items, or group of items manufactured by the licensee. Such permission would be for a fixed period and subject to renewals. xiii. Purchase preference and price preference may be given to the Public Sector organizations as per guidelines of the Department of Public Enterprises. xiv. The Licensee shall be allowed to sell Defence items to Government entities under the control of Ministry of Home Affairs (MHA), State Governments, Public Sector Undertakings (PSUs) and other valid Defence Licensed Companies without prior approval of the Department of Defence Production (DoDP). However, for sale of the items to any other entity, the Licensee shall take prior permission from the Department of Defence Production, Ministry of Defence. xv. All applications seeking permission of the Government for FDI in defence would be made to the Secretariat of Foreign Investment Promotion Board (FIPB) in the Department of Economic

	Affairs.		
	xvi. Applications for FDI up to 49% will follow the existing procedure with proposals involving inflows in excess of Rs. 3000 crore being approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).		
	xvii. Based on the recommendation of the Ministry of Defence and FIPB, approval of the Cabinet Committee on Security (CCS) will be sought by the Ministry of Defence in respect of cases seeking permission of the Government for FDI beyond 49% which are likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country.		
	xviii. Proposals for FDI beyond 49% with proposed inflow in excess of Rs. 3000 crores, which are to be approved by CCS will not require further approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).		
	xix. Government decision on applications for FDI in defence industry sector will be normally communicated within a time frame of 10 weeks from the date of acknowledgement.		
	xx. For the proposal seeking Government approval for foreign investment beyond 49% applicant should be Indian company/foreign investor. Further condition at para (iii) above will not apply on such proposals.		
Services Sector			
Information Services			
6.	Broadcasting		
6.1	Broadcasting Carriage Services		
6.1.1	(1) Teleports (setting up of up-linking HUBs/Teleports); (2) Direct to Home (DTH); (3) Cable Networks [Multi System Operators (MSOs) operating at National or State or District level and undertaking up gradation of networks towards digitalization and addressability]; (4) Mobile TV; (5) Headend-in-the Sky Broadcasting Service (HITS)	74%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 74%
6.1.2	Cable Networks (Other MSOs not undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators (LCOs)).	49%	Automatic
6.2	Broadcasting Content Services		
6.2.1	Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio) , subject to such terms and conditions, as specified from time to time, by Ministry of Information & Broadcasting, for grant of permission for setting up of FM Radio stations.	26%	Government
6.2.2	Up-Linking of 'News & Current Affairs' TV Channels	26%	Government
6.2.3	Up-linking a Non-'News & Current Affairs' TV Channels/Down-linking of	100%	Government

	TV Channels		
6.3	FDI for Up-linking/Down-linking TV Channels will be subject to compliance with the relevant Up-linking/Down-linking Policy notified by the Ministry of Information & Broadcasting from time to time.		
6.4	Foreign Investment (FI) in companies engaged in all the aforesaid services will be subject to relevant regulations and such terms and conditions, as may be specified from time to time, by the Ministry of Information and Broadcasting.		
6.5	The foreign investment (FI) limit in companies engaged in the afore stated activities shall include, in addition to FDI, investment by Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors(FPIs), Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), [Depository Receipts issued under Schedule 10 of these Regulations with equity shares or compulsorily and mandatorily convertible preference shares or compulsory and mandatorily convertible debentures or warrant or any other security in which foreign direct investment can be made in terms of Schedule1 of the principal Regulations, as underlying] (GDRs) and convertible preference shares held by foreign entities.]		
6.6	<p>Foreign investment in the aforesaid broadcasting carriage services will be subject to the following security conditions/ terms:</p> <p>Mandatory Requirement for Key Executives of the Company</p> <p>(i) The majority of Directors on the Board of the Company shall be Indian Citizens.</p> <p>(ii) The Chief Executive Officer (CEO), Chief Officer In-charge of technical network operations and Chief Security Officer should be resident Indian citizens</p> <p>Security Clearance of Personnel</p> <p>(iii) The Company, all Directors on the Board of Directors and such key executives like Managing Director/ Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), shareholders who individually hold 10% or more paid-up capital in the company and any other category, as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, shall require to be security cleared.</p> <p>In case of the appointment of Directors on the Board of the Company and such key executives like Managing Director/Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), etc., as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, prior permission of the Ministry of Information and Broadcasting shall have to be obtained.</p> <p>It shall be obligatory on the part of the company to also take prior permission from the Ministry of Information and Broadcasting before effecting any change in the Board of Directors.</p> <p>(iv) The Company shall be required to obtain security clearance of all foreign personnel likely to be deployed for more than 60 days in a year by way of appointment, contract, and consultancy or in any other capacity for installation, maintenance, operation or any other services prior to their deployment. The security clearance shall be required to be obtained every two years.</p> <p>Permission vis-a-vis Security Clearance</p> <p>(v) The permission shall be subject to permission holder/licensee remaining security cleared</p>		

throughout the currency of permission. In case the security clearance is withdrawn the permission granted is liable to be terminated forthwith.

- (vi) In the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/licensee or foreign personnel being denied or withdrawn for any reasons whatsoever, the permission holder/licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government, failing which the permission/license granted shall be revoked and the company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years.

Infrastructure/Network/Software related requirement

- (vii) The officers/officials of the licensee companies dealing with the lawful interception of Services will be resident Indian citizens.
- (viii) Details of infrastructure/ network diagram (technical details of the network) could be provided on a need basis only, to equipment suppliers/manufactures and the affiliate of the licensee company. Clearance from the licensor would be required if such information is to be provided to anybody else.
- (ix) The Company shall not transfer the subscribers' databases to any person/place outside India unless permitted by relevant Law.
- (x) The Company must provide traceable identity of their subscribers.

Monitoring, Inspection and Submission of Information

- (xi) The Company should ensure that necessary provision (hardware/software) is available in their equipment for doing the Lawful interception and monitoring from a centralized location as and when required by Government.
- (xii) The company, at its own costs, shall, on demand by the Government or its authorized representative, provide the necessary equipment, services and facilities at designated place(s) for continuous monitoring or the broadcasting service by or under supervision of the Government or its authorized representative.
- (xiii) The Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative shall have the right to inspect the broadcasting facilities. No prior permission/intimation shall be required to exercise the right of Government or its authorized representative to carry out the inspection. The company will, if required by the Government or its authorized representative, provide necessary facilities for continuous monitoring for any particular aspect of the company's activities and operations. Continuous monitoring, however, will be confined only to security related aspects, including screening of objectionable content.
- (xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative after reasonable notice, except in circumstances where giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection.
- (xv) The company shall submit such information with respect to its services as may be required by the Government or its authorized representative, in the format as may be required, from time

	<p>to time.</p> <p>(xvi) The permission holder/licensee shall be liable to furnish the Government of India or its authorized representative or TRAI or its authorized representative, such reports, accounts, estimates, returns or such other relevant information and at such periodic intervals or such times as may be required.</p> <p>(xvii) The service providers should familiarize/train designated officials of the Government or officials of TRAI or its authorized representative(s) in respect of relevant operations/features of their systems.</p> <p>National Security Conditions</p> <p>(xviii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle. The Government of India, Ministry of Information and Broadcasting shall have the right to temporarily suspend the permission of the permission holder/Licensee in public interest or for national security for such period or periods as it may direct. The company shall immediately comply with any directives issued in this regard failing which the permission issued shall be revoked and the company disqualified to hold any such permission, in future, for a period of five years.</p> <p>(xix) The company shall not import or utilize any equipment, which are identified as unlawful and/or render network security vulnerable.</p> <p>Other conditions</p> <p>(xx) Licensor reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest or for proper provision of broadcasting services.</p> <p>(xxi) Licensee will ensure that broadcasting service installation carried out by it should not become a safety hazard and is not in contravention of any statute, rule or regulation and public policy.</p>		
7.	Print Media		
7.1	Publishing of newspaper and periodicals dealing with news and current affairs	26%	Government
7.2	Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs	26%	Government
7.2.1	Other conditions		
	<p>(i) 'Magazine', for the purpose of these guidelines, will be defined as a periodical publication, brought out on non-daily basis, containing public news or comments on public news.</p> <p>(ii) Foreign investment would also be subject to the Guidelines for Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs issued by the Ministry of Information & Broadcasting on 4-12-2008.</p>		
7.3	Publishing/printing of Scientific and Technical	100%	Government

	Magazines/specialty journals/periodicals, subject to compliance with the legal framework as applicable and guidelines issued in this regard from time to time by Ministry of Information and Broadcasting.		
7.4	Publication of facsimile edition of foreign newspapers	100%	Government
7.4.1	Other conditions:		
	<p>(i) FDI should be made by the owner of the original foreign newspapers whose facsimile edition is proposed to be brought out in India.</p> <p>(ii) Publication of facsimile edition of foreign newspapers can be undertaken only by an entity incorporated or registered in India under the provisions of the Companies Act, as applicable.</p> <p>(iii) Publication of facsimile edition of foreign newspaper would also be subject to the Guidelines for publication of newspapers and periodicals dealing with news and current affairs and publication of facsimile edition of foreign newspapers issued by Ministry of Information & Broadcasting on 31-3-2006, as amended from time to time.</p>		
8.	Civil Aviation		
8.1	<p>The Civil Aviation sector includes Airports, Scheduled and Non-Scheduled domestic passenger airlines, Helicopter services/Seaplane services, Ground Handling Services, Maintenance and Repair organizations; Flying training institutes; and Technical training institutions.</p> <p>For the purposes of the Civil Aviation sector:</p> <p>(i) "Airport" means a landing and taking off area for aircrafts, usually with runways and aircraft maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as defined in clause (2) of section 2 of the Aircraft Act, 1934;</p> <p>(ii) "Aerodrome" means any definite or limited ground or water area intended to be used, either wholly or in part, for the landing or departure of aircraft, and includes all buildings, sheds, vessels, piers and other structures thereon or pertaining thereto;</p> <p>(iii) "Air transport service" means a service for the transport by air of persons, mails or any other thing, animate or inanimate, for any kind of remuneration whatsoever, whether such service consists of a single flight or series of flights;</p> <p>(iv) "Air Transport Undertaking" means an undertaking whose business includes the carriage by air of passengers or cargo for hire or reward;</p> <p>(v) "Aircraft component" means any part, the soundness and correct functioning of which, when fitted to an aircraft, is essential to the continued airworthiness or safety of the aircraft and includes any item of equipment;</p> <p>(vi) "Helicopter" means a heavier than air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more power driven rotors on substantially vertical axis;</p> <p>(vii) "Scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the public;</p> <p>(viii) "Non-Scheduled air Transport service" means any service which is not a scheduled air transport service and will include Cargo airlines;</p> <p>(ix) "Cargo airlines" would mean such airlines which meet the conditions as given in the Civil Aviation Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation;</p> <p>(x) "Seaplane" means an aeroplane capable normally of taking off from and alighting solely on water;</p> <p>(xi) "Ground Handling" means (i) ramp handling, (ii) traffic handling both of which shall include the activities as specified by the Ministry of Civil Aviation through the Aeronautical Information Circulars from time to time, and (iii) any other activity specified by the Central Government to be a part of either</p>		

	ramp handling or traffic handling.		
8.2	Airports		
	(a) Greenfield projects	100%	Automatic
	(b) Existing projects	100%	Automatic upto 74% ; Government Route beyond 74%
8.3	Air Transport Services		
	(1) Scheduled Air Transport Service/Domestic Passenger Airline	49% (100% for NRIs)	Automatic
	(2) Non-Scheduled Air Transport Service	74% (100% for NRIs)	Automatic upto 49%; Government Route beyond 49% and up to 74%
	(3) Helicopter services/ seaplane services requiring DGCA approval	100%	Automatic
8.3.1	Other Conditions		
	<p>(a) Air Transport Services would include Domestic Scheduled Passenger Airlines; Non-Scheduled Air Transport Services, helicopter and seaplane services.</p> <p>(b) Foreign airlines are allowed to participate in the equity of companies operating Cargo airlines, helicopter and seaplane services, as per the limits and entry routes mentioned above.</p> <p>(c) Foreign airlines are also allowed to invest in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to the limit of 49% of their paid-up capital. Such investment would be subject to the following conditions:</p> <p>(i) It would be made under the Government approval route.</p> <p>(ii) The 49% limit will subsume FDI and FII/FPI investment.</p> <p>(iii) The investments so made would need to comply with the relevant regulations of SEBI, such as the Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations/ Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations, as well as other applicable rules and regulations.</p> <p>(iv) A Scheduled Operator's Permit can be granted only to a company:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) <i>that is registered and has its principal place of business within India;</i></p> <p style="margin-left: 40px;">b) <i>the Chairman and at least two-thirds of the Directors of which are citizens of India;</i> <i>and</i></p> <p style="margin-left: 40px;">c) <i>the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian nationals.</i></p> <p>(v) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment; and</p> <p>(vi) All technical equipment that might be imported into India as a result of such investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation.</p>		

	<p>Note: (i) The FDI limits/entry routes, mentioned at paragraph 8.3(1) and 8.3(2) above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines.</p> <p>(ii) The dispensation for NRIs regarding FDI up to 100% will also continue in respect of the investment regime specified at paragraph 8.3.1(c) (ii) above.</p> <p>(iii) The policy mentioned at 8.3.1(c) above is not applicable to M/s Air India Limited</p>		
8.3.2	Foreign Airlines in the capital of the Indian companies, operating schedule and non-scheduled air transport services	49% (100% for NRIs)	Government
8.4	Other Services under Civil Aviation sector		
	(1)Ground Handling Services subject to sectoral regulations and security clearance	74% (100% for NRIs)	Automatic upto 49%; Government Route beyond 49% and up to 74%
	(2)Maintenance and Repair organizations; flying training institutes and technical training institutions	100%	Automatic
9.	Courier services for carrying packages, parcels and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898 and excluding the activity relating to the distribution of letters	100%	Automatic
10.	Construction Development: Townships, Housing, Built-up infrastructure		
10.1	Construction-development projects (which would include development of townships, construction of residential/commercial premises, roads or bridges, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships)	100%	Automatic
	<p>Investment will be subject to the following conditions:</p> <p>(A) Minimum area to be developed under each project would be as under:</p> <p>(i) In case of development of serviced plots, no minimum land area requirement.</p> <p>(ii) In case of construction-development projects, a minimum floor area of 20,000 sq. meter.</p> <p>(B) Investee company will be required to bring minimum FDI of US\$ 5 million within six months of commencement of the project. The commencement of the project will be the date of approval of the building plan/layout plan by the relevant statutory authority. Subsequent tranches of FDI can be brought till the period of ten years from the commencement of the project or before the completion of project, whichever expires earlier.</p> <p>(C) (i) The investor will be permitted to exit on completion of the project or after development of trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage.</p> <p>(ii) The Government may, in view of facts and circumstances of a case, permit repatriation of FDI or transfer of stake by one non-resident investor to another non-resident investor, before the completion of project. These proposals will be considered by FIPB on case to case basis inter-alia with specific reference to Note (i).</p> <p>(D) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements and provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned.</p> <p>(E) The Indian investee company will be permitted to sell only developed plots. For the purposes of this policy "developed plots" will mean plots where trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street</p>		

	<p>lighting, drainage and sewerage, have been made available.</p> <p>(F) The Indian investee company shall be responsible for obtaining all necessary approvals, including those of the building/layout plans, developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities, payment of development, external development and other charges and complying with all other requirements as prescribed under applicable rules/bye-laws/regulations of the State Government/ Municipal/Local Body concerned.</p> <p>(G) The State Government/ Municipal/ Local Body concerned, which approves the building / development plans, will monitor compliance of the above conditions by the developer.</p> <p>Note:</p> <p>(i) It is clarified that FDI is not permitted in an entity which is engaged or proposes to engage in real estate business, construction of farm houses and trading in transferable development rights (TDRs).</p> <p>"Real estate business" will have the same meaning as provided in FEMA Notification No. 1/2000-RB dated May 03, 2000 read with RBI Master Circular i.e. dealing in land and immovable property with a view to earning profit or earning income there from and does not include development of townships, construction of residential/ commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships.</p> <p>(ii) The conditions at (A) to (C) above, will not apply to Hotels & Tourist Resorts; Hospitals; Special Economic Zones (SEZs); Educational Institutions, Old Age Homes and Investment by NRIs.</p> <p>(iii) The conditions at (A) and (B) above, will also not apply to investee/joint venture companies which commit at least 30 percent of the total project cost for low cost affordable housing.</p> <p>(iv) An Indian company, which is the recipient of FDI, shall procure a certificate from an architect empanelled by any Authority, authorized to sanction building plan to the effect that the minimum floor area requirement has been fulfilled.</p> <p>(v) 'Floor area' will be defined as per the local laws/regulations of the respective State governments/Union territories.</p> <p>(vi) Completion of the project will be determined as per the local bye-laws/ rules and other regulations of State Governments.</p> <p>(vii) Project using at least 40% of the FAR/FSI for dwelling unit of floor area of not more than 140 square meter will be considered as Affordable Housing Project for the purpose of FDI policy in Construction Development Sector. Out of the total FAR/ FSI reserved for Affordable Housing, at least one-fourth should be for houses of floor area of not more than 60 square meter.</p> <p>(viii) It is clarified that 100% FDI under automatic route is permitted in completed projects for operation and management of townships, malls/ shopping complexes and business centres.</p>		
11.	Industrial Parks -New and existing	100%	Automatic
11.1	<p>(i) "Industrial Park" is a project in which quality infrastructure in the form of plots of developed land or built up space or a combination with common facilities, is developed and made available to all the allottee units for the purposes of industrial activity.</p> <p>(ii) "Infrastructure" refers to facilities required for functioning of units located in the Industrial Park and includes roads (including approach roads), railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air conditioning.</p> <p>(iii) "Common Facilities" refer to the facilities available for all the units located in the industrial park, and include facilities of power, roads (including approach roads), railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment, common testing, telecom services, air conditioning, common facility buildings, industrial canteens, convention/conference halls, parking, travel desks, security service, first aid center, ambulance and other safety services, training facilities and such other facilities meant for common use of the units located in the Industrial Park.</p> <p>(iv) "Allocable area" in the Industrial Park means-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) in the case of plots of developed land - the net site area available for allocation to the units, excluding the area for common facilities.</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) in the case of built up space - the floor area and built-up space utilized for providing</p>		

	<p>common facilities.</p> <p>(c) in the case of a combination of developed land and built-up space - the net site and floor area available for allocation to the units excluding the site area and built-up space utilized for providing common facilities.</p> <p>(v) "Industrial Activity" means manufacturing; electricity; gas and water supply; post and telecommunications; software publishing, consultancy and supply; data processing, database activities and distribution of electronic content; other computer related activities; basic and applied R&D on biotechnology, pharmaceutical sciences/life sciences, natural sciences and engineering; business and management consultancy activities; and architectural, engineering and other technical activities.</p>		
11.2	<p>FDI in Industrial Parks would not be subject to the conditionalities applicable for construction development projects etc. spelt out in para 11 above, provided the Industrial Parks meet with the under-mentioned conditions:</p> <p>(i) it would comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area;</p> <p>(ii) the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total allocable area.</p>		
12.	Satellites - Establishment and operation		
12.1	Satellites Establishment and operation, subject to the sectoral guidelines of Department of Space/ISRO	74%	Government
13.	Private Security Agencies	49%	Government
14.	<p>Telecom services (including Telecom Infrastructure Providers Category-I)</p> <p>All telecom services including Telecom Infrastructure Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, Unified Access Services, Unified license (Access services), Unified License, National/ International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services (GMPCS), All types of ISP licenses, Voice Mail/Audiotex / UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower) except Other Service Providers.</p>	100%	Automatic upto 49% Government route beyond 49%
14.1.1	Other Condition		
	FDI up to 100% with 49% on the automatic route and beyond 49% on the government route subject to observance of licensing and security conditions by licensee as well as investors as notified by the Department of Telecommunications (DoT) from time to time, except "Other Service Providers", which are allowed 100% FDI on the automatic route.		
15.	Trading		
15.1	(i) Cash & Carry Wholesale Trading/Wholesale Trading (including sourcing from MSEs)	100%	Automatic
15.1.1	Definition: Cash & Carry Wholesale trading/Wholesale trading, would mean sale of goods/merchandise to retailers, industrial, commercial, institutional or other professional business users or to other wholesalers and related subordinated service providers. Wholesale trading would, accordingly, imply		

	sales for the purpose of trade, business and profession, as opposed to sales for the purpose of personal consumption. The yardstick to determine whether the sale is wholesale or not would be the type of customers to whom the sale is made and not the size and volume of sales. Wholesale trading would include resale, processing and thereafter sale, bulk imports with ex-port/ ex-bonded warehouse business sales and B2B e-Commerce.	
15.1.2	<p>Guidelines for Cash & Carry Wholesale Trading/Wholesale Trading (WT):</p> <p>(a) For undertaking 'WT', requisite licenses/registration/permits, as specified under the relevant Acts/Regulations/Rules/Orders of the State Government/Government Body/Government Authority /Local Self-Government Body under that State Government should be obtained.</p> <p>(b) Except in case of sales to Government, sales made by the wholesaler would be considered as 'cash & carry wholesale trading/wholesale trading' with valid business customers, only when WT are made to the following entities:</p> <p>(i) Entities holding sales tax/VAT registration/service tax/excise duty registration; or</p> <p>(ii) Entities holding trade licenses i.e. a license/registration certificate/membership certificate/registration under Shops and Establishment Act, issued by a Government Authority/Government Body/ Local Self-Government Authority, reflecting that the entity/person holding the license/registration certificate/membership certificate, as the case may be, is itself/himself/herself engaged in a business involving commercial activity; or</p> <p>(iii) Entities holding permits/license etc. for undertaking retail trade (like tehbazari and similar license for hawkers) from Government Authorities/Local Self Government Bodies; or</p> <p>(iv) Institutions having certificate of incorporation or registration as a society or registration as public trust for their self consumption.</p> <p>Note: An Entity, to whom WT is made, may fulfil anyone of the 4 conditions.</p> <p>(c) Full records indicating all the details of such sales like name of entity, kind of entity, registration/ license/permit etc. number, amount of sale etc. should be maintained on a day to day basis.</p> <p>(d) WT of goods would be permitted among companies of the same group. However, such WT to group companies taken together should not exceed 25% of the total turnover of the wholesale venture.</p> <p>(e) WT can be undertaken as per normal business practice, including extending credit facilities subject to applicable regulations.</p> <p>(f) A Wholesale/Cash & carry trader cannot open retail shops to sell to the consumer directly.</p>	
15.2	B2B E-commerce activities	100% Automatic
	E-commerce activities refer to the activity of buying and selling by a company through the e-commerce platform. Such companies would engage only in Business to Business (B2B) e-commerce and not in retail trading, inter alia implying that existing restrictions on FDI in domestic trading would be applicable to e-commerce as well.	

15.3	Single Brand product retail trading	100%	Automatic up to 49%. Government route beyond 49%
<p>(1) Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments in production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India, and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs, technologies and management practices.</p> <p>(2) FDI in Single Brand product retail trading would be subject to the following conditions:</p> <p>(a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only.</p> <p>(b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India.</p> <p>(c) 'Single Brand' product-retail trading would cover only products which are branded during manufacturing.</p> <p>(d) A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake 'single brand' product retail trading in the country for the specific brand, directly or through a legally tenable agreement, with the brand owner for undertaking single brand product retail trading. The onus for ensuring compliance with this condition will rest with the Indian entity carrying out single-brand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/franchise/sub-licence agreement, specifically indicating compliance with the above condition. The requisite evidence should be filed with the RBI for the automatic route and SIA/FIPB for cases involving approval.</p> <p>(e) In respect of proposals involving FDI beyond 51 %, sourcing of 30% of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. This procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years; total value of the goods purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of FDI for the purpose of carrying out single-brand product retail trading.</p> <p>(f) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies with FDI, engaged in the activity of single brand retail trading.</p> <p>(3) Applications seeking permission of the Government for FDI exceeding 49% in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion. The applications would specifically indicate the product/ product categories which are proposed to be sold under a 'Single Brand'. Any addition to the product/ product categories to be sold under 'Single Brand' would require a fresh approval of the Government. In case of FDI upto 49%, the list of products/ product categories proposed to be sold except food products would be provided to the RBI.</p> <p>(4) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.</p>			

15.4	Multi Brand Retail Trading	51%	Government
<p>(1) FDI in multi brand retail trading, in all products, will be permitted, subject to the following conditions:</p> <p>(i) Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, fresh poultry, fishery and meat products, may be unbranded.</p> <p>(ii) Minimum amount to be brought in, as FDI, by the foreign investor, would be US \$ 100 million.</p> <p>(iii) At least 50% of total FDI brought in the first tranche of US \$ 100 million, shall be invested in 'back-end infrastructure' within three years, where 'back-end infrastructure' will include capital expenditure on all activities, excluding that on front-end units; for instance, back-end infrastructure will include investment made towards processing, manufacturing, distribution, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, warehouse, agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals, if any, will not be counted for purposes of back-end infrastructure. Subsequent investment in the back-end infrastructure would be made by the MBRT retailer as needed, depending upon its business requirements.</p> <p>(iv) At least 30% of the value of procurement of manufactured/processed products purchased shall be sourced from Indian micro, small and medium industries, which have a total investment in plant & machinery not exceeding US \$ 2.00 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. The 'small industry' status would be reckoned only at the time of first engagement with the retailer and such industry shall continue to qualify as a 'small industry' for this purpose, even if it outgrows the said investment of US \$ 2.00 million during the course of its relationship with the said retailer. Sourcing from agricultural co-operatives and farmers co-operatives would also be considered in this category. The procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years total value of the manufactured/processed products purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis.</p> <p>(v) Self-certification by the company, to ensure compliance of the conditions at serial Nos. (i), (ii) and (iv) above, which could be cross-checked, as and when required. Accordingly, the investors shall maintain accounts, duly certified by statutory auditors.</p> <p>(vi) Retail sales outlets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per the 2011 Census or any other cities as per the decision of the respective State Governments, and may also cover an area of 10 kms. Around the municipal/urban agglomeration limits of such cities; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master/Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking.</p> <p>(vii) Government will have the first right to procurement of agricultural products.</p> <p>viii) The above policy is an enabling policy only and the State Governments/Union Territories would be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore, retail sales outlets may be set up in those States/Union Territories which have agreed, or agree in future, to allow FDI in MBRT under this policy. The list of States/Union Territories which have conveyed their agreement is at (2) below. Such agreement, in future, to permit establishment of retail outlets under this policy, would be conveyed to the Government of India</p>			

	<p>through the Department of Industrial Policy & Promotion and additions would be made to the list at (2) below accordingly. The establishment of the retail sales outlets will be in compliance of applicable State/Union Territory laws/ regulations, such as the Shops and Establishments Act etc.</p> <p>(ix) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies with FDI, engaged in the activity of multi-brand retail trading.</p> <p>(x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.</p> <p>(2) List of States/Union Territories as mentioned in Paragraph 16.4.(1) (viii)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Andhra Pradesh 2.Assam 3.Delhi 4.Haryana 5.Himachal Pradesh 6.Jammu & Kashmir 7. Karnataka 8.Maharashtra 9.Manipur 10.Rajasthan 11.Uttarakhand 12.Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli (Union Territories) 		
	<p>FINANCIAL SERVICES</p> <p>Foreign investment in other financial services, other than those indicated below, would require prior approval of the Government:</p>		
F.1	Asset Reconstruction Companies		
F.1.1	'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act).	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49%
F.1.1.2	<p>Other Conditions</p> <p>(i) Persons resident outside India can invest in the capital of Asset Reconstruction Companies (ARCs) registered with Reserve Bank, up to 49% on the automatic route, and beyond 49% on the Government route.</p> <p>(ii) No sponsor may hold more than 50% of the shareholding in an ARC either by way of FDI or by routing it through an FII/FPI controlled by the single sponsor.</p> <p>(iii) The total shareholding of an individual FII/FPI shall be below 10% of the total paid-up capital.</p> <p>(iv) FIIs/FPIs can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs registered with Reserve Bank. FIIs/FPIs can invest up to 74 per cent of each tranche of scheme of SRs. Such investment should be within the FII/FPI limit on corporate bonds prescribed from time to time, and sectoral caps under extant FDI Regulations should also be complied with.</p> <p>(v) All investments would be subject to provisions of section 3(3) (f) of Securitization and</p>		

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.			
F.2	Banking - Private sector		
F.2.1	<p>Banking - Private sector</p> <p>This 74% limit will include investment under the Portfolio Investment Scheme (PIS) by FIIs/FPIs, NRIs and shares acquired prior to September 16, 2003 by erstwhile OCBs, and continue to include IPOs, Private placements, GDR/ADRs and acquisition of shares from existing shareholders.</p>	74% (FII/FPI upto 49%)	Automatic upto 49% Government route beyond 49% and upto 74%
F.2.2	Other conditions:		
	<p>(1) The aggregate foreign investment in a private bank from all sources will be allowed - up to a maximum of 74 per cent of the paid-up capital of the Bank. At all times, at least 26 per cent of the paid up capital will have to be held by residents, except in regard to a wholly-owned subsidiary of a foreign bank.</p> <p>(2) The stipulations as above will be applicable to all investments in existing private sector banks also.</p> <p>(3) The permissible limits under portfolio investment schemes through stock exchanges for FIIs/FPIs and NRIs will be as follows:</p> <p>(i) In the case of FIIs/FPIs, as hitherto, individual FII/FPI holding is restricted to below 10 per cent of the total paid-up capital, aggregate limit for all FIIs/FPIs/QFIs cannot exceed 24 per cent of the total paid-up capital, which can be raised to 49 per cent of the total paid-up capital by the bank concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effect by its General Body.</p> <p>(a) Thus, the FII/FPI investment limit will continue to be within 49 per cent of the total paid-up capital.</p> <p>(b) In the case of NRIs, as hitherto, individual holding is restricted to 5 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and non-repatriation basis and aggregate limit cannot exceed 10 percent of the total paid-up capital both on repatriation and non-repatriation basis. However, NRI holding can be allowed up to 24 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and non-repatriation basis provided the banking company passes a special resolution to that effect in the General Body.</p> <p>(c) Applications for foreign direct investment in private banks having joint venture/subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank of India (RBI) for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) in order to ensure that the 49 per cent limit of foreign shareholding applicable for the insurance sector is not being breached.</p> <p>(d) Transfer of shares under FDI from residents to non-residents will continue to require approval of RBI and Government as per Regulation 14(5) as applicable</p>		

	<p>(e) The policies and procedures prescribed from time to time by RBI and other institutions such as SEBI, D/o Company Affairs and IRDA on these matters will continue to apply.</p> <p>(f) RBI guidelines relating to acquisition by purchase or otherwise of shares of a private bank, if such acquisition results in any person owning or controlling 5 per cent or more of the paid-up capital of the private bank will apply to non-resident investors as well.</p> <p>(ii) Setting up of a subsidiary by foreign banks</p> <p>(a) Foreign banks will be permitted to either have branches or subsidiaries but not both.</p> <p>(b) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the home country and meeting Reserve Bank's licensing criteria will be allowed to hold 100 per cent paid-up capital to enable them to set up a wholly-owned subsidiary in India.</p> <p>(c) A foreign bank may operate in India through only one of the three channels viz., (i) branches (ii) a wholly-owned subsidiary and (iii) a subsidiary with aggregate foreign investment up to a maximum of 74 per cent in a private bank.</p> <p>(d) A foreign bank will be permitted to establish a wholly-owned subsidiary either through conversion of existing branches into a subsidiary or through a fresh banking license. A foreign bank will be permitted to establish a subsidiary through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least 26 per cent of the paid-up capital of the private sector bank is held by residents at all times consistent with para (i) (b) above.</p> <p>(e) A subsidiary of a foreign bank will be subject to the licensing requirements and conditions broadly consistent with those for new private sector banks.</p> <p>(f) Guidelines for setting up a wholly-owned subsidiary of a foreign bank will be issued separately by RBI.</p> <p>(g) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India will have to be made to the RBI.</p> <p>(iii) At present there is a limit of ten per cent on voting rights in respect of banking companies, and this should be noted by potential investor. Any change in the ceiling can be brought about only after final policy decisions and appropriate Parliamentary approvals.</p>		
F.3	Banking - Public Sector		
F.3.1	Banking - Public Sector subject to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Acts, 1970/80. This ceiling (20%) is also applicable to the State Bank of India and its associate banks.	20%	Government
F.4	Commodity Exchanges		
F.4.1	(i) Futures trading in commodities are regulated under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. Commodity Exchanges, like Stock Exchanges, are infrastructure companies in the commodity futures market. With a view to infuse globally acceptable best practices, modern management skills and latest technology, it was decided to allow foreign investment in Commodity Exchanges.		

	<p>2. For the purposes of this Chapter,</p> <p>(i) "Commodity Exchange" is a recognized association under the provisions of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, as amended from time to time, to provide exchange platform for trading in forward contracts in commodities.</p> <p>(ii) "Recognized association" means an association to which recognition for the time being has been granted by the Central Government under section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952.</p> <p>(iii) "Association" means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purposes of regulating and controlling the business of the sale or purchase of any goods and commodity derivative.</p> <p>(iv) "Forward contract" means a contract for the delivery of goods and which is not a ready delivery contract.</p> <p>(v) "Commodity derivative" means-</p> <ul style="list-style-type: none"> • a contract for delivery of goods, which is not a ready delivery contract; or • a contract for differences which derives its value from prices or indices of prices of such underlying goods or activities, services, rights, interests and events, as may be notified in consultation with the Forward Markets Commission by the Central Government, but does not include securities. 		
F.4.2	Commodity Exchange	49%	Automatic
F.4.3	<p>Other conditions:</p> <p>(i) FII/FPI purchases shall be restricted to secondary market only.</p> <p>(ii) No non-resident investor/entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies.</p> <p>(iii) Foreign investment in commodity exchanges will be subject to the guidelines of the Central Government / Forward Markets Commission (FMC) from time to time.</p>		
F.5	Credit Information Companies (CIC)		
F.5.1	Credit Information Companies	74%	Automatic
F.5.2	<p>Other Conditions:</p> <p>(1) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.</p> <p>(2) Foreign investment is permitted subject to regulatory clearance from RBI.</p> <p>(3) Such FII/FPI investment would be permitted subject to the conditions that:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) A single entity should directly or indirectly hold below 10% equity; (b) Any acquisition in excess of 1 % will have to be reported to RBI as a mandatory requirement; and (c) FIIs investing in CICs shall not seek a representation on the Board of Directors based upon their shareholding. 		
F.6	Infrastructure Company in the Securities		

	Market		
F.6.1	Infrastructure companies in Securities Markets, namely, stock exchanges, depositories and clearing corporations, in compliance with SEBI Regulations	49%	Automatic
F.6.2	Other Conditions:		
F.6.2.1	FII/FPI can invest only through purchases in the secondary market		
F.7.	Insurance		
F.7.1	Insurance (i) Insurance Company (ii) Insurance Brokers (iii) Third Party Administrators (iv) Surveyors and Loss Assessors (v) Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)	49%	Automatic upto 26%,; Government route beyond 26% and upto 49%
F.7.2	Other Conditions: (a) No Indian insurance company shall allow the aggregate holdings by way of total foreign investment in its equity shares by foreign investors, including portfolio investors, to exceed forty-nine percent of the paid up equity capital of such Indian insurance company. (b) Foreign direct investment proposals which take the total foreign investment in the Indian insurance company above 26 percent and up to the cap of 49 percent shall be under Government route. (c) Foreign investment in the sector is subject to compliance of the provisions of the Insurance Act, 1938 and the condition that Companies bringing in FDI shall obtain necessary license from the Insurance Regulatory & Development Authority of India for undertaking insurance activities. (d) An Indian insurance company shall ensure that its ownership and control remains at all times in the hands of resident Indian entities referred to in Notification No.G.S.R 115 (E), dated 19th February, 2015. (e) Foreign portfolio investment in an Indian insurance company shall be governed by the provisions contained in sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of FEMA Regulations, 2000 and provisions of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations. (f) Any increase of foreign investment of an Indian insurance company shall be in accordance with the pricing guidelines specified by Reserve Bank of India under the FEMA. (g) The foreign equity investment cap of 49 percent shall apply on the same terms as above to Insurance Brokers, Third Party Administrators, Surveyors and Loss Assessors and Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999). (h) Provided that where an entity like a bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from their primary (i.e. non-insurance related) business must remain above 50 percent of their total revenues in any financial year. (i) The provisions of paragraphs F.2.2 (3) (i) (c) & (e), relating to 'Banking-Private Sector', shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies. (j) Terms 'Control', 'Equity Share Capital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian Insurance Company', 'Indian Company', 'Indian Control of an Indian Insurance Company', 'Indian Ownership', 'Non-resident Entity', 'Public Financial Institution', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign Investment' will have the same meaning as provided in		

	Notification No. G.S.R 115 (E), dated 19th February, 2015.		
F.8.	Non-Banking Finance Companies (NBFCs)		
F.8.1	<p>Foreign investment in NBFC is allowed under the automatic route in only the following activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Merchant Banking (ii) Underwriting (iii) Portfolio Management Services (iv) Investment Advisory Services (v) Financial Consultancy (vi) Stock Broking (vii) Asset Management (viii) Venture Capital (ix) Custodian Services (x) Factoring (xi) Credit Rating Agencies (xii) Leasing & Finance (xiii) Housing Finance (xiv) Forex Broking (xv) Credit Card Business (xvi) Money Changing Business (xvii) Micro Credit (xviii) Rural Credit 	100%	Automatic
F.8.2	Other Conditions		
	<p>(1) Investment would be subject to the following minimum capitalisation norms:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) US \$0.5 million for foreign capital up to 51 % to be brought upfront. (ii) US \$ 5 million for foreign capital more than 51 % and up to 75% to be brought upfront. (iii) US \$ 50 million for foreign capital more than 75% out of which US \$ 7.5 million to be brought upfront and the balance in 24 months. (iv) NBFCs (i) having foreign investment more than 75% and up to 100%, and (ii) with a minimum capitalisation of US\$ 50 million, can set up step down subsidiaries for specific NBFC activities, without any restriction on the number of operating subsidiaries and without bringing in additional capital. The minimum capitalization condition as mandated by para 3.10.4.1 of DIPP Circular 1 on Consolidated FDI Policy, therefore, shall not apply to downstream subsidiaries. (v) Joint Venture operating NBFCs that have 75% or less than 75% foreign investment can also set up subsidiaries for undertaking other NBFC activities, subject to the subsidiaries also complying with the applicable minimum capitalisation norm mentioned in (i), (ii) and (iii) above and (vi) below. (vi) Non-Fund based activities: US\$ 0.5 million to be brought upfront for all permitted non-fund based NBFCs irrespective of the level of foreign investment subject to the following condition: <p>It would not be permissible for such a company to set up any subsidiary for any other activity, nor it can participate in any equity of an NBFC holding/operating company.</p>		

	<p>Note: The following activities would be classified as Non-Fund Based activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Investment Advisory Services (b) Financial Consultancy (c) Forex Broking (d) Money Changing Business (e) Credit Rating Agencies (vii) This will be subject to compliance with the guidelines of RBI. <p>Note: (i) Credit Card business includes issuance, sales, marketing & design of various payment products such as credit cards, charge cards, debit cards, stored value cards, smart card, value added cards etc.</p> <p>(ii) Leasing & Finance covers only financial leases and not operating leases.</p> <p>FDI in operating leases is permitted up to 100 % on the automatic route.</p> <p>(2) The NBFC will have to comply with the guidelines of the relevant regulator/s, as applicable.</p>		
F.8.3	White Label ATM Operations	100%	Automatic
	<p>Other Conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Any non-bank entity intending to set up a WLAs should have a minimum net worth of Rs. 100 crore as per the latest financial year's audited balance sheet, which is to be maintained at all times. ii. In case the entity is also engaged in any other 18 NBFC activities, then the foreign investment in the company setting up WLA, shall have to comply with the minimum capitalisation norms for foreign investment in NBFC activities, as provided in para F.8.2. iii. FDI in the WLAO will be subject to the specific criteria and guidelines issued by RBI vide Circular No. DPSS,CO.PD.No.2298/02.10.002/2011-12, as amended from time to time. 		
F.9	Power Exchanges		
F.9.1	Power Exchanges under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010	49%	Automatic
F.9.2	Other conditions		
	<ul style="list-style-type: none"> (i) FII purchases shall be restricted to secondary market only; (ii) No non-resident investor/entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies; and (iii) The foreign investment would be in compliance with SEBI Regulations; other applicable laws/regulations; security and other conditionalities. 		
F.10	Pension Sector	49%	Automatic up to 26%; Government route beyond 26% and up to 49 %
16.	Pharmaceuticals		
16.1	Greenfield	100%	Automatic

16.2	Brown Field	100%	Government
16.3	Other Conditions		
	<p>(iv) 'Non-compete' clause would not be allowed except in special circumstances with the approval of the Foreign Investment Promotion Board.</p> <p>(v) The prospective investor and the prospective investee are required to provide a certificate along with the FIPB application.</p> <p>(vi) Government may incorporate appropriate conditions for FDI in brownfield cases, at the time of granting approval.</p> <p>Note :</p> <p>i. FDI upto 100% under the automatic route is permitted for manufacturing of medical devices. The abovementioned conditions will, therefore, not be applicable to greenfield as well as brownfield projects of this industry.</p> <p>ii. Medical device means :-</p> <p>a) Any instrument, apparatus, appliance, implant, material or other article, whether used alone or in combination, including the software, intended by its manufacturer to be used specially for human beings or animals for one or more of the specific purposes of :-</p> <p>(aa) Diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of any disease or disorder;</p> <p>(ab) diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of, or assistance for, any injury or handicap;</p> <p>(ac) investigation, replacement or modification or support of the anatomy or of a physiological process;</p> <p>(ad) supporting or sustaining life;</p> <p>(ae) disinfection of medical devices;</p> <p>(af) control of conception;</p> <p>and which does not achieve its primary intended action in or on the human body or animals by any pharmacological or immunological or metabolic means, but which may be assisted in its intended function by such means;</p> <p>b) an accessory to such an instrument, apparatus, appliance, material or other article;</p> <p>c) a device which is reagent, reagent product, calibrator, control material, kit, instrument, apparatus, equipment or system whether used alone or in combination thereof intended to be used for examination and providing information for medical or diagnostic purposes by means of in vitro examination of specimens derived from the human body or animals.</p> <p>iii. The definition of medical device at Note (ii) above would be subject to the amendment in Drugs and Cosmetics Act.</p>		
17	Railway Infrastructure		
	Construction, operation and maintenance of the following: (i) Suburban corridor projects through PPP, (ii) speed train projects, (iii) Dedicated freight lines, (iv) Rolling stock including train sets, and locomotives/coaches manufacturing and maintenance facilities, (v) Railway Electrification, (vi) Signaling systems, (vii) Freight terminals, (viii) Passenger terminals, (ix) Infrastructure in industrial park pertaining to railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to main railway line and (x) Mass Rapid Transport Systems.	100%	Automatic
	<p>Note:-</p> <p>(i) Foreign Direct Investment in the abovementioned activities open to private participation including FDI is subject to sectoral guidelines of Ministry of Railways.</p>		

(ii) Proposals involving FDI beyond 49% in sensitive areas from security point of view, will be brought by the Ministry of Railways before the Cabinet Committee on Security (CCS) for consideration on a case to case basis.

3. Saving

Any existing foreign investment already made in accordance with the policy in existence would not require any modifications to conform to these amendments.

[F. No. 1/22/EM-2015]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
 G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
 G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012

G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
 G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
 G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
 G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
 G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012
 G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
 G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
 G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013
 G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
 G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
 G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
 G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
 G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013
 G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
 G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
 G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013
 G.S.R.No. 681(E) dated 11.10.2013
 G.S.R.No. 682(E) dated 11.10.2013
 G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
 G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
 G.S.R.No. 683(E) dated 11.10.2013
 G.S.R.No. 189(E) dated 19.03.2014
 G.S.R.No. 190(E) dated 19.03.2014
 G.S.R.No. 270(E) dated 07.04.2014
 G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
 G.S.R.No. 370(E) dated 30.05.2014
 G.S.R.No. 371(E) dated 30.05.2014
 G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
 G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
 G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
 G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014

G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014

G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015